मार्च 2025

75 वर्ष संविधान के

कुरुक्षेत्र

1954 से प्रकाशित ग्रामीण विकास मासिक

केंद्रीय बजट 2025-26

प्रगतिशील ग्रामीण भारत

- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेज़ी लाने के लिए पहल
- कृषि के उज्ज्वल भविष्य का दस्तावेज़
- स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की ओर
- महिला सशक्तीकरण से बनेगा 'सशक्त' भारत
- डिजिटल शिक्षा के दौर में AI
- ग्रामीण विकास में नई भूमिका में 'भारतीय डाक'

Publications Division
Ministry of Information & Broadcasting
Government of India

Available NOW

FUTURE-PROOF YOUR CAREER WITH EXCLUSIVE EXPERT INSIGHTS

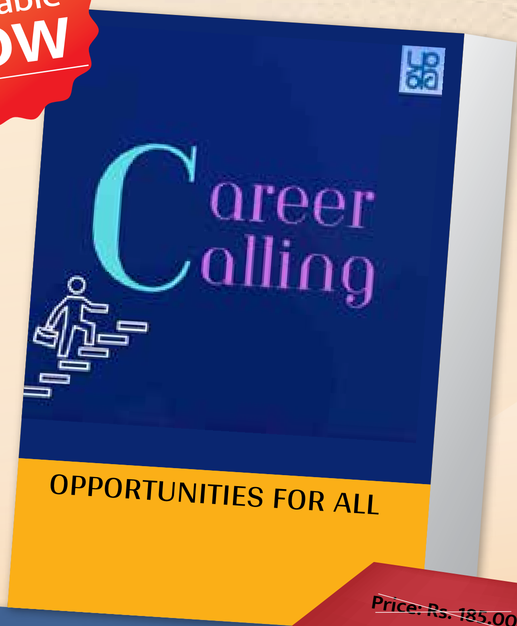

~~Price: Rs. 185.00~~
Spl. Price Rs. 166.50

Available at

www.publicationsdivision.nic.in

Book Gallery
Soochna Bhawan, Lodhi Road, New Delhi-03

www.amazon.in

For business related queries on this book, please contact:
Phone: 011 24365609 | Email: businesswng@gmail.com

@publicationsdivision | @Employ_News | @DPD_India | @dpd_india

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष : 71 ★ मासिक अंक : 5 ★ पृष्ठ : 52 ★ फाल्गुन-चैत्र 1946 ★ मार्च 2025

प्रधान संपादक : **कुलश्रेष्ठ कमल**

वरिष्ठ संपादक : **ललिता खुराना**

संयुक्त निदेशक (उत्पादन) : **डी.के.सी. हृदयनाथ**

आवरण : **पवनेश कुमार बिंद**

सज्जा : **मनोज कुमार**

संपादकीय कार्यालय

कमरा नं- 655, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in

@publicationsdivision

@DPD_India

@dpd_India

कुरुक्षेत्र सदस्यता शुल्क

वार्षिक साधारण डाक : ₹ 230

ट्रैकिंग सुविधा के साथ : ₹ 434

नोटः सदस्यता शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है।

पत्रिका ऑनलाइन खरीदने के लिए bharatkash.gov.in/product पर तथा ई-पुस्तकों के लिए Google play या Amazon पर लॉग-इन करें।

कुरुक्षेत्र की सदस्यता की जानकारी लेने, एजेंसी संबंधी सूचना तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें-

अभिषेक चतुर्वेदी, संपादक, पत्रिका एकांश

प्रकाशन विभाग, कमरा सं-779, सातवां तल, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003

पत्रिका न मिलने की शिकायत हेतु ई-मेल : pdjucir@gmail.com या दूरभाषः 011-24367453 पर संपर्क करें।

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कॅरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

इस अंक में

बजट में विकास के विविध आयाम — 5
– डॉ के के त्रिपाठी

आय और उपभोग बढ़ाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेज़ी लाने की पहल — 13
– सतीश सिंह

कृषि के प्रगतिशील भविष्य का दस्तावेज़ — 21
– भुवन भास्कर

स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करने की ओर — 25
– आकांक्षा जैन

डिजिटल शिक्षा के दौर में AI — 32
– जे पी पांडे, राजा पंडित

महिला सशक्तीकरण से होगा 'सशक्त' भारत का निर्माण — 38
– डॉ ऋतु सारस्वत

ग्रामीण विकास में 'उत्प्रेरक' की भूमिका में भारतीय डाक — 45
– अरविंद कुमार सिंह

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
पुणे	ग्राउंड फ्लोर, कैरियर बिल्डिंग, महादजी शिंदे बीएसएनएल टी ई कम्पाउंड, पूना क्लब के पास, कैंप, पुणे	411001	-
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नई गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं- 204, दूसरा तल, सीजीओ टॉवर, कवादिगुड़ा, सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बैंगलुरु	फ़र्स्ट फ्लोर, 'एफ़ विंग, केंद्रीय सदर, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-ए, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	4-सी, नैप्च्युन टॉवर, चौथी मंज़िल, एचपी पेट्रोल पंप के निकट, नेहरू ब्रिज कार्नर, आश्रम रोड	380009	079-26588669
गुवाहाटी	असम खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड परिसर, एमआरडी रोड, चानमारी, गुवाहाटी	781003	0361-4083136

संपादकीय

2047 तक 'विकसित भारत' बनने के सपने को साकार करने की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है और केंद्रीय बजट 2025-26 इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह बजट रोजगार, अवसंरचना और आर्थिक सशक्तीकरण जैसे आवश्यक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर ग्रामीण समुदायों के लिए एक समृद्ध और संधारणीय भविष्य सुनिश्चित करेगा जिससे और अधिक 'सशक्त' और 'आत्मनिर्भर' भारत का मार्ग प्रशस्त हो।

वित्त मंत्री ने कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को भारत की विकास यात्रा के चार शक्तिशाली इंजन बताते हुए इस बजट में छह क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों को शुरू करने का उद्देश्य रखा है। अगले पांच वर्षों में कराधान, बिजली क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र में नियामक सुधार हमारी वृद्धि की क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि विकास की इस यात्रा में 'हमारे सुधार ही ईंधन हैं जहां 'समावेशिता' एक प्रेरक शक्ति है और 'विकसित भारत' ही हमारा गंतव्य है।

केंद्रीय बजट 2025-26 में ग्रामीण विकास मंत्रालय को लगभग 1.88 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पिछले वर्ष के आवंटन से 5.75% की वृद्धि दर्शाता है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, विशेष रूप से कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने और इन क्षेत्रों में रहने वाले लाखों-करोड़ो लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए, यह वृद्धि अहम है।

इस बजट में घोषित प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना कृषि उत्पादकता बढ़ाने, सतत खेती को बढ़ावा देने और ग्रामीण समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए छह साल के लिए दाल आत्मनिर्भरता कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त, एक राष्ट्रीय मिशन सिकुड़ती कृषि भूमि और अनियमित मौसम जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च उपज देने वाली बीज किस्मों का विकास करेगा।

बच्चों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना उत्पन्न करने तथा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में पचास हज़ार अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। भारतनेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ पांच राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों को स्थापित करने की घोषणा भी की गई है ताकि "मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" विनिर्माण के लिए आवश्यक कौशल के साथ हमारे युवाओं को तैयार किया जा सके।

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम के तहत देश में पौष्टिकता सहायता को बढ़ावा देना देश की प्रगति के तीसरे ईंजन विकास में निवेश- लोगों में निवेश, अर्थव्यवस्था में निवेश और नवाचार के क्षेत्र में निवेश को समाहित करता है। अगले तीन वर्षों में देश के सभी ज़िला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने, आगामी वर्ष में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ने के साथ ही देश में निजी क्षेत्र के सहयोग से चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा दिया जाएगा।

संक्षेप में, 2025-26 का केंद्रीय बजट ग्रामीण भारत की विकासात्मक चुनौतियों का समाधान करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। ये बजट कृषि, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में अतिरिक्त लक्षित हस्तक्षेपों के साथ ग्रामीण परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखता है। यदि प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो ये उपाय गरीबी को कम कर ग्रामीण समुदायों का उत्थान करेंगे और ग्रामीण आबादी को देश की आर्थिक वृद्धि में अधिक सक्रिय रूप से योगदान करने के लिए सशक्त बनाएंगे।

बजट में विकास के विविध आयाम

*डॉ के के त्रिपाठी

केंद्र सरकार के प्रयासों से कृषि और ग्रामीण क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के दो मज़बूत स्तंभ बनने की ओर अग्रसर हैं। बजट 2025-26 देश के विकास को गति देने वाला है। यह बजट ग्रामीण भारत में कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में गरीबी मिटाने, रोज़गार सृजन, महिला सशक्तीकरण और आर्थिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देने की दिशा सुनिश्चित करता है। कृषि और एमएसएमई को समावेशी विकास के इंजन के रूप में स्थापित करके, सरकार 2047 के 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसमें लोगों की भागीदारी के आधार पर एक आत्मनिर्भर और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था तैयार होगी।

वित्त वर्ष 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण को 31 जनवरी, 2025 को संसद में पेश किया गया। इसमें आपूर्ति शृंखला अवरोधों और कमज़ोर विदेशी मांग की वजह से विशेष रूप से समूचे यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में वैश्विक मैनुफैक्चरिंग परिवेश में मंदी के बीच भारत के सतत आर्थिक विकास को रेखांकित किया गया है। सर्वेक्षण में उम्मीद जताई गई है कि पर्याप्त आपूर्ति और मांग प्रबंधन प्रणालियों के ज़रिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार आएगा। मज़बूत आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण मांग में वृद्धि, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में सुधार, खाद्य महंगाई में कमी तथा वृहद् अर्थव्यवस्था में स्थिरता महत्वपूर्ण है। इस मोड़ पर, बजट से पहले नागरिकों को उम्मीद थी कि इससे आय, संपत्ति, रोज़गार और अवसंरचना में बढ़ोतरी होगी ताकि व्यवसाय के लिए अनुकूल परिवेश सुनिश्चित हो सके।

इस आलेख में कुछ प्रमुख क्षेत्रों के लिए विकास आवंटन का विश्लेषण कर 2025-26 के बजट के लक्ष्य को रेखांकित किया गया है। आलेख में इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की गई है कि 2025-26 की बजट घोषणाएं ग्रामीण कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों पर निर्भर लाखों-करोड़ों नागरिकों

***लेखक भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी हैं। वर्तमान में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में आर्थिक सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं। लेख में व्यक्त विचार उनके निजी हैं। ई-मेलः tripathi123@rediffmail.com**

की ज़िंदगियों को किस तरह प्रभावित करेंगी। यहां हम कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित उन कुछ क्षेत्रों की चर्चा कर सरकार की नीतिगत दिशा और आर्थिक इरादे की व्याख्या की कोशिश करेंगे जिन्हें बजट में प्राथमिकता दी गई है।

उच्च आवंटन और विकास पर ज़ोर

वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में कुल 50.65 लाख करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान व्यक्त किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में व्यय का संशोधित अनुमान 47.16 लाख करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2025-26 में कुल खर्च में से 15.48 लाख करोड़ रुपये प्रभावी पूंजीगत व्यय होगा। यह प्रभावी पूंजीगत व्यय 2024-25 के संशोधित अनुमान में 10.18 लाख करोड़ रुपये है। बजट घोषणाओं में प्राथमिकता के कुछ क्षेत्रों के लिए आवंटन में इज़ाफा किया गया है। आवंटन में इस वृद्धि का उद्देश्य आर्थिक विकास में तेजी लाना, अवसंरचना बढ़ाना और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है। कुल मिला कर ज़ोर विकास के लिए परिवेश बनाने पर है ताकि 2047 तक विकसित भारत बनने के बड़े लक्ष्य का मार्ग सुगम हो और इसकी प्रक्रिया में तेज़ी आए। विकसित भारत का उद्देश्य देश को एक ऐसी आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है जो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सतत, समावेशी और न्यायसंगत विकास हासिल करने में सक्षम होगी। यह संपन्नता, सामाजिक कल्याण और आत्मनिर्भरता का दृष्टिकोण है जिससे भारत का नवाचार, प्रौद्योगिकी, पर्यावरणीय संवहनीयता और सुशासन में वैश्विक लीडर के तौर पर उदय होगा।

बजट 2025-26 में ग्रामीण आर्थिक विकास पर अटूट विश्वास जाहिर किया गया है। इसमें ग्रामीण विकास विभाग के लिए 1.87 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो 2024-25 के आवंटन से लगभग 5.75 प्रतिशत ज्यादा हैं। महत्वपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन में वृद्धि का मकसद रोज़गार सृजन और उपभोग मांग को प्रेरित करना है। इससे समग्र ग्रामीण विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का पता चलता है। इसका उद्देश्य ग्रामवासियों के जीवन-स्तर में सुधार लाना और ग्रामीण क्षेत्रों में संवहनीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

पांच महत्वपूर्ण मंत्रालयों के लिए 2025-26 और 2024-25 के आवंटनों की तुलना से संकेत मिलता है कि कौशल विकास और उद्यमिता (एसडीई), ग्रामीण विकास (आरडी),

तालिका-1 : पांच प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के लिए बजट आवंटन 2024-25 और 2025-26

क्रम	मंत्रालय	आवंटन करोड़ रुपये में			2025-26 में आवंटन में प्रतिशत वृद्धि	
		2024-25		**2025-26**		
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	**2024-25** के संशोधित अनुमान की तुलना में	**2024-25** बजट अनुमान की तुलना में
1	एएफडब्ल्यू	1,22,528	1,31,195	1,27,290	-3.0	3.9
2	एमएसएमई	22,138	17,307	23,168	33.9	4.7
3	आरडी	1,77,566	1,73,912	1,87,754	8.0	5.7
4	एसडीई	4,520	3,301	6,100	84.8	35.0
5	डब्ल्यूसीडी	26,092	23,183	26,890	16.0	3.1

स्रोत : वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के 2025-26 के संघीय बजट दस्तावेज की अनुदान मांगें

तालिका-2 : 2024-25 में प्रमुख क्षेत्रों के व्यय						
क्रम	क्षेत्र	आवंटन करोड़ रुपये में			2025-26 में आवंटन में प्रतिशत वृद्धि	
		2024-25		**2025-26**		
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	**2024-25** के संशोधित अनुमान की तुलना में	**2024-25** बजट अनुमान की तुलना में
1	कृषि और संबंधित गतिविधियां	1,51,851	1,40,859	1,71,437	21.7	12.9
2	ग्रामीण विकास	2,65,808	1,90,675	2,66,817	39.9	0.4
3	शिक्षा	1,25,638	1,14,054	1,28,650	12.8	2.4
4	सामाजिक कल्याण	56,501	46,482	60,052	29.2	6.3
5	स्वास्थ्य	89,287	88,032	98,311	11.7	10.1
6	**सब्सिडी**	**3,81,175**	**3,83,419**	**3,83,407**	**0.0**	**0.6**
क	उर्वरक सब्सिडी	1,64,000	1,71,299	1,67,887	-2.0	2.4
ख	खाद्य सब्सिडी	2,05,250	1,97,420	2,03,420	3.0	-0.9
ग	पेट्रोलियम सब्सिडी	11,925	14,700	12,100	-17.7	1.5

स्रोत : *https://www.indiabudget.gov.in/doc/Budget_at_Glance/bag6.pdf*

सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्यम (एमएसएमई), कृषि और किसान कल्याण (एएफडब्ल्यू) तथा महिला और बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) को प्राथमिकता दी गई है (तालिका-1)।

एसडीई मंत्रालय के लिए आवंटन में 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में 35 प्रतिशत का जबर्दस्त उछाल देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमानों की तुलना में यह वृद्धि आरडी में 5.7 प्रतिशत, एमएसएमई में 4.7 प्रतिशत, एएफडब्ल्यू में 3.9 प्रतिशत और डब्ल्यूसीडी में 3.1 प्रतिशत की है। एसडीई के लिए आवंटन में इज़ाफा, मानव पूंजी

विकास और उद्यमिता को भारत के विकास मार्ग के महत्वपूर्ण तत्व के रूप में, सरकार की ओर से प्राथमिकता दिए जाने का संकेत है। इसी तरह, ग्रामीण निवेश में वृद्धि, खरीददारों की मांग में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में न्यायसंगत रोज़गार सृजन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास का वाहक है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2024-25 में विभिन्न महत्वपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक धन आवंटित किया। लिहाज़ा, इन क्षेत्रों के 2024-25 के बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों में बड़ा सकारात्मक अंतर देखने को मिलता है।

बजट 2025-26 में खाद्य और उर्वरक सब्सिडी के लिए 3.83 लाख करोड़ रुपये की बड़ी रकम आवंटित की गई है। इसमें ग्रामीण विकास, कृषि और संबंधित क्षेत्रों, रोज़गार सृजन और कौशल तथा आजीविका संबंधी गतिविधियों के लिए प्रचुर धन आवंटित किया गया है (तालिका-2)। तालिका-2 के अनुसार 2024-25 की तुलना में 2025-26 के आवंटन में कृषि और संबंधित गतिविधियों में 12.9 प्रतिशत, स्वास्थ्य में 10.1 प्रतिशत, सामाजिक कल्याण में 6.3 प्रतिशत तथा शिक्षा और उर्वरक सब्सिडी में 2.4 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

विकास के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की योजनाओं के लिए परिव्यय की समीक्षा से संकेत मिलता है कि बजट 2025-26 को 'विकसित भारत' की दिशा में देश की यात्रा के लिए रणनीति के तौर पर तैयार किया गया है। इस बजट में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है जो संवहनीय विकास, प्रौद्योगिकीय उन्नति और सामाजिक कल्याण की दिशा में देश के कदमों

क्रम	योजना	बजट परिव्यय रुपये में		24-25 की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में)
		2024-25	2025-26	
1	यूरिया सब्सिडी	1,19,000	1,18,900	-0.1
2	महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना	86,000	86,000	0.0
3	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि			
4	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	60,000	63,500	5.8
5	पोषण आधारित सब्सिडी	54,500	54,832	0.6
6	समग्र शिक्षा	45,000	49,000	8.9
7	दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	37,500	41,250	10.0
8	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	15,047	19,005	26.3
9	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	19,000	19,000	0.0
10	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	7,553	8,500	12.5
11	कृषि उन्नति योजना	8,250	8,260	0.1
12	प्रधानमंत्री विश्वकर्मा	7,447	8,000	7.4
13	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	4,824	5,100	5.7
14	प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उपक्रम औपचारीकरण योजना	2,352	2,465	4.8
15	डेयरी विकास	880	2,000	127.3

तालिका-3 : 2024-25 और 2025-26 में प्रमुख विकास योजनाओं पर बजट परिव्यय

स्रोत : *https://www.indiabudget.gov.in/doc/Budget_at_Glance/bag7.pdf*

को संचालित करने की ज़बर्दस्त क्षमता रखते हैं। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए आवंटन में वृद्धि का मकसद गाँवों की समस्याओं का निराकरण तथा उनमें उत्पादकता बढ़ाना और रोज़गार के अवसर पैदा करना है। सरकार ने परिवहन, ऊर्जा और शहरी योजना समेत अवसंरचना विकास पर ज़ोर दिया है जिससे संयोजकता, व्यवसाय सुगमता और जीवन स्तर में सुधार आएगा तथा समावेशी विकास को बल मिलेगा। कौशल विकास

और उद्यमिता पर ज़ोर दिए जाने से देश के युवा कार्यबल को मैनुफैक्चरिंग और एमएसएमई क्षेत्रों से ज़रूरी सहयोग मिलेगा जिससे आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में देश के प्रयासों को मज़बूती मिलेगी।

कृषि और किसान कल्याण

कृषि अब भी भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख संचालकों में से एक है। बजट 2025-26 में खेतों की उत्पादकता बढ़ाने, खेत उत्पादों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने और किसानों को वित्तीय सुरक्षा देने के उद्देश्य से कृषि और किसान कल्याण को तरजीह दी गई है। राज्यों की भागीदारी से 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना चलाने की घोषणा की गई है जिसमें खेती के विकास से संबंधित मौजूदा योजनाएं और विशेष उपाय समाहित होंगे। सरकार उत्पादकता वृद्धि के लिए प्रभावी कदम उठाने, विविधीकरण और संवहनीय कृषि प्रणालियों के ज़रिए पैदावार बढ़ाने, सामुदायिक स्तर पर फसल पश्चात भंडारण मज़बूत करने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार तथा किसानों को ज़रूरी उत्पादन सामग्री की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। वह सिंचाई में निवेश बढ़ाने, मृदा गुणवत्ता प्रबंधन तथा जैविक खेती और कृषि वानिकी जैसी संवहनीय पद्धतियों को भी प्राथमिकता दे रही है। बजट में प्रौद्योगिकी, ऋण और बाज़ार तक किसानों की पहुँच बढ़ाने तथा उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग में सक्षम बनाने और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों

से जोड़ने की बात कही गई है। आवंटनों के ज़रिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को मज़बूत करने तथा शीतगृह और माल ढुलाई जैसी किसान केंद्रित अवसंरचनाओं के विस्तार का प्रयास किया गया है।

वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में यूरिया अनुदान घटाने के साथ ही पोषण आधारित सब्सिडी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इससे पता चलता है कि सरकार संवहनीय कृषि प्रणालियों और उर्वरक के इस्तेमाल में दक्षता लाने पर ज़ोर दे रही है। इस कदम का उद्देश्य यूरिया पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता घटाना और भूमि क्षय को रोकना है। यह फैसला जैविक खेती, समेकित पोषण प्रबंधन और वैकल्पिक उर्वरकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है। इससे कृषि क्षेत्र में जैविक खाद और परिष्कृत खेती जैसे नवोन्मेषी समाधानों को अपनाने के लिए प्रेरित करने की संभावना है।

इसी तरह, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने और पानी के उपयोग में कुशलता सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया गया है। योजना का उद्देश्य सिंचाई के आच्छादन क्षेत्र को बढ़ाना, टपक और स्प्रिंक्लर सिंचाई जैसी सूक्ष्म प्रणालियों को बढ़ावा देना और जल संरक्षण में सुधार लाना है। इस योजना के लिए 2025-26 के बजट में 8260 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे जल प्रबंधन को मज़बूत करने, मानसून पर निर्भरता घटाने तथा वर्षा सिंचित और सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उपक्रम औपचारीकरण योजना के लिए आवंटन में 2024-25 की तुलना में 2025-26 में 4.8 प्रतिशत का इज़ाफा किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण और सूक्ष्म उपक्रम क्षेत्र के लिए काफी अवसर उपलब्ध हैं। सरकार का लक्ष्य औपचारीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन और बाज़ार तक पहुँच के लिए ज़रूरी समर्थन का विस्तार करना है। छोटे खाद्य प्रसंस्करणों की क्षमता बढ़ाना तथा उन्हें आधुनिक प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों को अपनाने, उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने और व्यवसाय के अवसरों का विस्तार करने में सक्षम बनाना इन प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण उत्प्रेरक हो सकता है। इस योजना का उद्देश्य औपचारीकरण को बढ़ावा देकर सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनाना, बाज़ार तक उनकी पहुँच बढ़ाना और इनसे जुड़े छोटी जोत वाले किसानों की आय में वृद्धि करना है।

ग्रामीण रोज़गार

हमारे गाँव उच्च दरिद्रता, न्यून कार्य भागीदारी दर और श्रम के बढ़ते अनौपचारीकरण से ग्रस्त रहे हैं। मजदूरी और स्वरोज़गार सृजन कार्यक्रम इस स्थिति में सुधार लाने में प्रभावी माने गए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कानून (मनरेगा) और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई- एनआरएलएम) ऐसे ही दो मजदूरी और स्वरोज़गार सृजन कार्यक्रम हैं। मनरेगा के लिए 2025-26 के बजट में आवंटन को 2024-25 के 86,000 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के बराबर रखा गया है। दूसरी ओर, डीएवाई-एनआरएलएम के लिए आवंटन में 26.3 प्रतिशत का इज़ाफा किया गया है। इस मिशन के लिए 2024-25 में 15,047 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था जो 2025-26 में बढ़ कर 19,005 करोड़ रुपये हो गया।

ग्रामीण रोज़गार योजनाओं के लिए उच्च आवंटन सराहनीय है। लेकिन समय आ गया है कि समूचे देश में योजनाओं के निर्माण, क्रियान्वयन, निगरानी और देखरेख में कार्यकुशलता को बढ़ाया जाए ताकि मनरेगा के तहत बनाई गई संपत्तियों की गुणवत्ता और स्थायित्व को सुनिश्चित किया जा सके। गुणवत्तापूर्ण संपत्ति निर्माण, व्यावहारिक और स्थान आधारित कार्ययोजना और डिजाइन, परियोजनाओं तथा कार्यस्थलों का समय पर

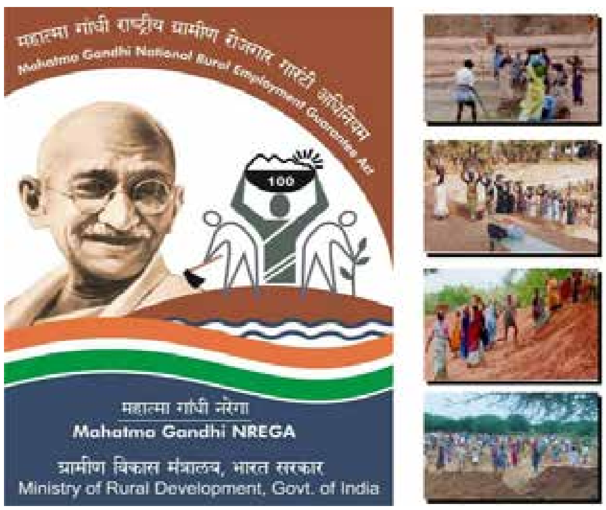

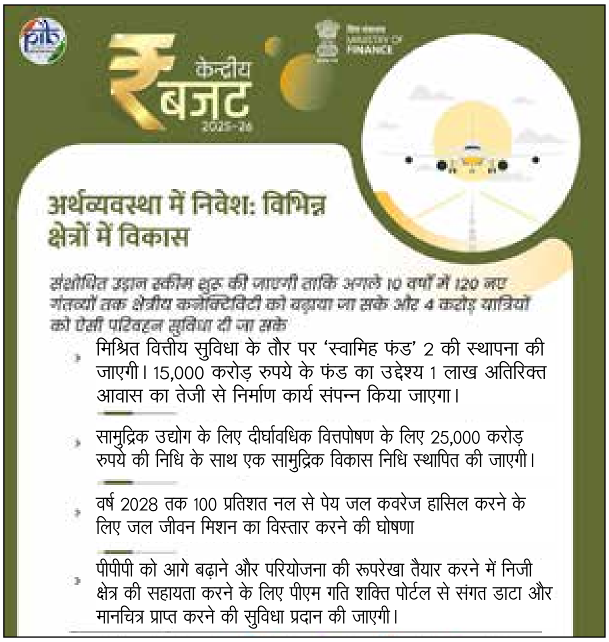

एवं उचित चयन, कार्यों का विस्तृत सर्वेक्षण, सटीक डिज़ाइन अनुमान, दक्षतापूर्ण क्रियान्वयन तथा पर्याप्त तकनीकी निगरानी से ग्रामीण भारत में सामुदायिक संपत्तियां बनाने तथा आय एवं रोज़गार बढ़ाने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय बजट 2025-26 में डीएवाई-एनआरएलएम के लिए आवंटन खासतौर से महिला सशक्तीकरण, उद्यमिता और कौशल विकास के ज़रिए ग्रामीण आबादी की आजीविका बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। डीएवाई-एनआरएलएम के ग्राम उद्यमिता विकास के नजरिए का उद्देश्य एक प्रेरक स्थानीय उद्यम तंत्र बनाना और गाँवों में बेरोज़गार युवाओं को स्थानीय उद्यमों को अपनाने के लिए उत्साहित करना है। बजट 2025-26 में बेरोज़गारी, कम कृषि उत्पादकता, अपर्याप्त कृषि और गैर-कृषि अवसंरचना तथा गाँवों से शहरों की ओर पलायन जैसी चुनौतियों के व्यापक समाधान की कोशिश की गई है। इन प्रयासों में अवसंरचना पर निवेश, वित्तीय समावेशन, कौशल कार्यक्रम और लैंगिक समानता शामिल हैं। इन उपायों से संवहनीय और संपन्न ग्रामीण भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा जिसके ज़रिए भारत में सामाजिक और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। इससे 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य तक पहुँचने में मदद मिलेगी।

ग्रामीण आवास और संयोजकता

2025-26 के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 54832 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो कि 2024-25 की तुलना में 0.6 प्रतिशत अधिक हैं। यह बढ़ोतरी ग्रामीण आवास की ज़रूरतों को पूरा करने तथा आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ों का जीवन स्तर सुधारने की सरकार की मज़बूत प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती है। इस योजना में स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं के साथ किफायती आवास मुहैया कराने और रोज़गार के अवसर पैदा करने को प्राथमिकता दी गई है। योजना के लिए आवंटन में वृद्धि के साथ ग्रामीण गरीबों के वास्ते आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा करने पर ज़ोर दिया गया है ताकि खासतौर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के तथा महिला मुखिया वाले प्रत्येक योग्य परिवार को छत मुहैया कराई जा सके।

बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह आवंटन गाँवों में सड़क अवसंरचना का निर्माण और उन्नयन तेज़ कर ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर पेश करता है। इससे दूरदराज के और अब तक वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में संयोजकता बढ़ेगी, आर्थिक विकास को बल मिलेगा तथा बाज़ार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोज़गार के अवसरों तक पहुँच बेहतर होगी। सड़क अवसंरचना में वृद्धि से परिवहन का खर्च घटेगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और स्थानीय व्यवसायों का विकास तेज़ होगा। साथ ही, इससे 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए 'आत्मनिर्भर भारत' सुनिश्चित करने से ग्रामीण समुदायों को और मज़बूती मिलेगी।

डेयरी और मत्स्य विकास

केंद्रीय बजट 2025-26 में डेयरी विकास के लिए बढ़ाए गए आवंटन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार डेयरी क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने और उसे बनाए रखने पर विशेष ज़ोर दे रही है। सरकार दूध उत्पादन को बढ़ाने, डेयरी क्षेत्र के किसानों के लिए बेहतर आजीविका सुनिश्चित करने, दूध प्रसंस्करण, भंडारण और परिवहन अवसंरचना को बढ़ाने पर प्राथमिकता दे रही है। इस दिशा में ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की आधुनिक डेयरी फार्मिंग तकनीकों तक पहुँच बढ़ाने, डेयरी किसानों को प्रशिक्षण

देने के साथ-साथ उन्हें वित्तीय सहायता मुहैया कराने, कोल्ड चेन सुविधाओं में वृद्धि के लिए सहकारी मॉडलों को बढ़ावा देने और डेयरी उत्पादों के लिए बाज़ार उपलब्ध कराने के लिए सामूहिक विपणन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। अमूल डेयरी ब्रांड के तहत गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन इसका उदाहरण है। इस तरह का नज़रिया अपनाने से ही डेयरी उत्पादन में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होगी, छोटे डेयरी किसानों को संगठित करने और उनकी आय एवं सम्पति को बढ़ाने के साथ-साथ टिकाऊ और संवहनीय ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।

बजट अनुमान 2024-25 की तुलना में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए बजट अनुमान 2025-26 में 5.7% की वृद्धि देखी गई। यह कदम जलीय कृषि और मछली पालन के दीर्घकालिक विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने और बेहतर अवसर प्रदान करके मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के सरकार के संकल्प को दर्शाता है। आज मछुआरों के कल्याण में सुधार लाने, मत्स्य पालन के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, आधुनिक मत्स्य प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने और बेहतर बाज़ार पहुँच सुनिश्चित करने के साथ ही फसल-उपरांत नुकसान को कम करने के लिए शीत भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं का विस्तार करने की ज़रूरत है। इसके अलावा, इस क्षेत्र में दीर्घकालिक विकास और उसे बनाए रखने पर ध्यान देने की आवश्यकता है, चूंकि इस क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने, रोज़गार सृजन और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।

कौशल विकास

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के सामने आने वाले विभिन्न अवसरों और चुनौतियों को रेखांकित किया गया है और भारत को एक प्रतिस्पर्धी और नवोन्मेषी अर्थव्यवस्था में बदलने का सुझाव दिया गया है। इस आर्थिक बदलाव के लिए निवेश बढ़ाने और व्यवसाय प्रबंधन के माध्यम से प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए उपयुक्त रणनीतियों की आवश्यकता होगी। सर्वेक्षण में न केवल बुनियादी ढांचे को मज़बूत बनाने और दक्षता में सुधार करने पर जोर दिया गया है बल्कि श्रमिकों के कौशल विकास और उन्हें प्रौद्योगिकी सक्षम बनाने पर भी तत्काल ध्यान देने का आह्वान किया गया है। इस संबंध में एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय 'ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन' (रूरल प्रोस्पेरिटी एंड रेसिलिएंस) कार्यक्रम की घोषणा की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कौशल निर्माण, निवेश, प्रौद्योगिकी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाते हुए कृषि में अल्प-रोज़गार की समस्या को दूर करना है। बजट में दो महत्वपूर्ण पहलों समग्र शिक्षा और पीएम विश्वकर्मा को प्रमुखता दी गई है।

बजट 2025-26 में समग्र शिक्षा के लिए 41,250 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह पूरे भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विशेष रूप से प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए देश की मज़बूत प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। बढ़ाए गए बजट प्रावधान में स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने, लड़कियों, दिव्यांग बच्चों और वंचित समुदायों के लिए समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराने पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में पिछड़े शैक्षिक स्तर के अंतर को पाटने के लिए डिजिटल शिक्षण उपकरणों से जोड़ने पर भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शिक्षकों के प्रशिक्षण में सुधार के लिए और छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु कौशल विकास सुनिश्चित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इस आवंटन का उद्देश्य, 'विकसित भारत' के लिए कुशल कार्यबल के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने के

लिए सार्वभौमिक शिक्षा, कौशल सशक्तीकरण और सभी बच्चों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना है।

बजट 2025-26 में पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए बढ़ाए गए आवंटन से उम्मीद है कि देश भर में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के कौशल को निखारने के साथ-साथ उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और उन्हें आधुनिक उपकरण, प्रौद्योगिकी तथा वित्तीय सहायता पहुँचाने में मदद मिलेगी। इस कदम से बुनाई, बढ़ईगिरी, मिट्टी के बर्तन और धातु की वस्तुएं बनाने जैसे क्षेत्रों में स्वरोज़गार को प्राथमिकता देकर ग्रामीण कारीगरों को मुख्यधारा की आर्थिक गतिविधियों में भी लाया जा सकेगा। समय की मांग है कि एक ऐसा समग्र वातावरण बनाया जाए जिसमें बेहतर और आकर्षक प्रशिक्षण सत्र, बाज़ारों तक आसान पहुँच, ऋण सुविधाओं की समय पर उपलब्धता शामिल हो। इससे कुशल श्रमिकों, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों की आजीविका में सुधार का रास्ता खुलेगा जिससे कुशल कारीगर भी भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकेंगे।

एमएसएमई का जीर्णोद्धार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भारत में रोज़गार सृजन और औद्योगिक उद्यमों का दिल और आत्मा हैं।

बजट 2025-26 में एमएसएमई की परिभाषा को बदलने की घोषणा की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण अवसर सामने आए हैं। ग्रामीण उद्यमिता और उद्यम को बढ़ाने के उद्देश्य से अब ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमों को सरकारी सहायता और कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। उच्च निवेश सीमा और पात्रता का दायरा बढ़ाने से ग्रामीण सूक्ष्म और लघु उद्यम अब वित्त, प्रौद्योगिकी और बाज़ार तक आसानी से पहुँच सकते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा। इससे ग्रामीण व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय स्तर पर रोज़गार सृजित होंगे और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में पलायन को रोका जा सकेगा। कृषि व्यवसाय, खाद्य प्रसंस्करण और हस्तशिल्प जैसे स्थानीय व्यवसाय फलेंगे-फूलेंगे। इससे किसानों, कारीगरों और महिला उद्यमियों को सीधा लाभ होगा और वे पर्याप्त सामुदायिक सहभागिता के साथ सतत ग्रामीण विकास में योगदान दे सकेंगे।

निष्कर्ष

बजट 2025-26 में ग्रामीण कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करने का उचित प्रयास किया गया है, क्योंकि इनमें देश के आर्थिक परिदृश्य में समग्र रूप से सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता है। इसका मकसद विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कृषि एवं किसान कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण, रोज़गार, आवास एवं कनेक्टिविटी, डेयरी एवं मत्स्य पालन, कौशल विकास के क्षेत्र में सरकारी नीतियों को लोगों के अनुकूल बनाना था और सरकार की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के साथ इसके दायरे को बढ़ाकर एमएसएमई को फिर से सक्रिय करना था।

केंद्र सरकार के प्रयासों से, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के दो मज़बूत स्तंभ बनने की ओर अग्रसर हैं। बजट 2025-26 देश के विकास को गति देने वाला है। यह बजट ग्रामीण भारत में कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में गरीबी मिटाने, रोज़गार सृजन, महिला सशक्तीकरण और आर्थिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देने की दिशा सुनिश्चित करता है।

कृषि और एमएसएमई को समावेशी विकास के इंजन के रूप में स्थापित करके, सरकार 2047 के 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसमें लोगों की भागीदारी के आधार पर एक आत्मनिर्भर और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था तैयार होगी। बजट 2025-26 में कृषि, शिक्षा, एमएसएमई, स्वास्थ्य, डिजिटल प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाया गया है जो सरकार के संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस कदम से न सिर्फ भारत के आर्थिक विकास को गति मिलेगी बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि विकास का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुँचे। साथ ही, यह 2047 तक विकसित भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को भी बल देगा। ❑

आय और उपभोग बढ़ाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेज़ी लाने की पहल

*सतीश सिंह

सरकार कर संग्रह और व्यय में इज़ाफा करके खपत को बढ़ाना चाहती है। भारत के संदर्भ में यह ज़रूरी भी है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था उपभोग आधारित है। जब खपत में वृद्धि होगी तो अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी। केसीसी की ऋण सीमा में वृद्धि, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की शुरुआत, उन्नत बीज का इस्तेमाल, कपास, दाल, मत्स्य आदि के उत्पादन को बढ़ाने वाले उपायों, लॉजिस्टिक्स की समस्या को दूर करने, वंचित तबके की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, बुनियादी ढांचा, स्टार्टअप्स, एमएसएमई आदि को मज़बूत करने से ग्रामीणों की आय बढ़ेगी, जिससे बचत, निवेश, खपत एवं आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी आएगी और हमारी अर्थव्यवस्था मज़बूत होगी।

वित्त वर्ष 2025-26 में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के ज़रिए क्रमशः 25.20 लाख करोड़ रुपये और 17.50 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित प्रत्यक्ष करों से संशोधित अनुमान के तहत 22.37 लाख करोड़ रुपये और अप्रत्यक्ष करों से 16.16 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। चालू वित्त वर्ष में आयकर संग्रह 14.4 प्रतिशत बढ़कर 14.38 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि सरकार को उम्मीद है कि कॉर्पोरेट टैक्स 10.4 प्रतिशत बढ़कर 10.82 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। इस तरह, सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में 42.70 लाख करोड़ रुपये राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में लक्षित संशोधित 38.53 लाख करोड़ रुपये से लगभग 11 प्रतिशत अधिक है।

सरकार कर संग्रह और व्यय में इज़ाफा करके खपत को बढ़ाना चाहती है। भारत के संदर्भ में यह ज़रूरी भी है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था उपभोग आधारित है। जब खपत में वृद्धि होगी तो अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी। इस तथ्य की पुष्टि करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर अपनी टिप्पणी में कहा कि आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर होता है कि सरकारी खजाना कैसे भरा जाए, लेकिन इस बार बजट में आम

*लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अहमदाबाद मंडल के स्थानीय प्रधान कार्यालय, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात में ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग के प्रमुख और सहायक महाप्रबंधक हैं। ईमेलः singhsatish@sbi.co.in

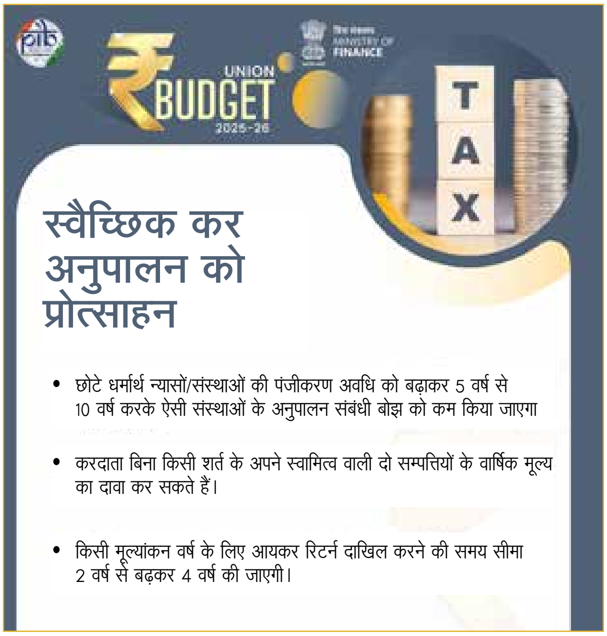

जनता की जेब भरने की पहल की गई है। जब जनता बचत करेगी, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, खर्च करेगी, तभी विकास होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट बचत, निवेश, खपत और विकास को गति प्रदान करेगा।

विकास की धीमी रफ़्तार

गौरतलब है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने पहले अग्रिम अनुमान में जीडीपी वृद्धि दर के 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है, जो पिछले 3 वित्त वर्षों से कम है। गत वित्त वर्ष के दौरान जीडीपी वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत रही थी। वहीं, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान जीडीपी के 6.6 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ने का अनुमान जताया है, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी वृद्धि दर के 6.7 प्रतिशत रहने का कयास लगाया गया है। इसके पहले वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जीडीपी वृद्धि दर –6.60 प्रतिशत रही थी। तदुपरांत, वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जीडीपी वृद्धि दर क्रमशः 8.70 प्रतिशत, 7.2 प्रतिशत और 8.2 प्रतिशत रही, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में यह 6.7 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत रही।

क्यों ज़रूरी है विकास दर में इज़ाफा

वैश्विक नीतियों में बदलाव, जैसे टैरिफ, संरक्षणवाद, नीतिगत ब्याज दरों के संदर्भ में अमेरिका के फेडरल रिज़र्व बैंक के रुख आदि के कारण देसी एवं वैश्विक बाज़ार में अस्थिरता बनी हुई है। साथ ही, विगत दो तिमाहियों में जीडीपी वृद्धि की धीमी गति को देखते हुए, सरकार के लिए विकास को बढ़ावा देना ज़रूरी हो गया था। पिछले 10 वर्षों में सरकार की नीति निवेश और आपूर्ति पक्ष पर केंद्रित रही है। इनसे हमारी अर्थव्यवस्था को तेज़ी से बढ़ने में मदद मिली, लेकिन समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए विकास के तीन मुख्य घटकों यथा निवेश, खपत और निर्यात पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत थी। इसलिए बजट में आर्थिक गतिविधियों को रफ़्तार देने के लिए निवेश, बचत, निर्यात और खपत बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया है।

पूंजीगत व्यय से राजकोषीय संतुलन

आयकर में छूट देने के साथ-साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में वित्तीय संतुलन बनाने वाले उपाय भी किए हैं। पूंजीगत व्यय को राज्यों के आवंटन और रक्षा बजट के बराबर महत्व दिया गया है। इससे निजी पूंजीगत व्यय में भी वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि खपत बढ़ने से कंपनियों की उत्पादन क्षमता का अधिक इस्तेमाल किया जा सकेगा।

कारोबार को सुगम बनाने पर फोकस

वैसे तो सरकार एक लंबे अरसे से कारोबार को सुगम बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस साल के बजट में इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस कार्य को मूर्त रूप देने के लिए संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है। इसे सरकार अपनी दूरदर्शी सोच, सकारात्मक नीति और मज़बूत आत्मबल से कर सकती है। अस्तु, इस साल के बजट में कारोबार को आसान बनाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। अनावश्यक बाधाओं को हटाने, कानूनी प्रक्रियाओं को आसान बनाने और कारोबारी नियमों को सरल व पारदर्शी बनाने की दिशा में काम करने का प्रस्ताव बजट में है। ज़ाहिर है, जब देश में कारोबार करना आसान होगा तो रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे और आर्थिक गतिविधियों में भी तेज़ी आएगी।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने वाले उपाय

किसान, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए बजट में किसानों के लिए 2,66,817 लाख करोड़ रुपये

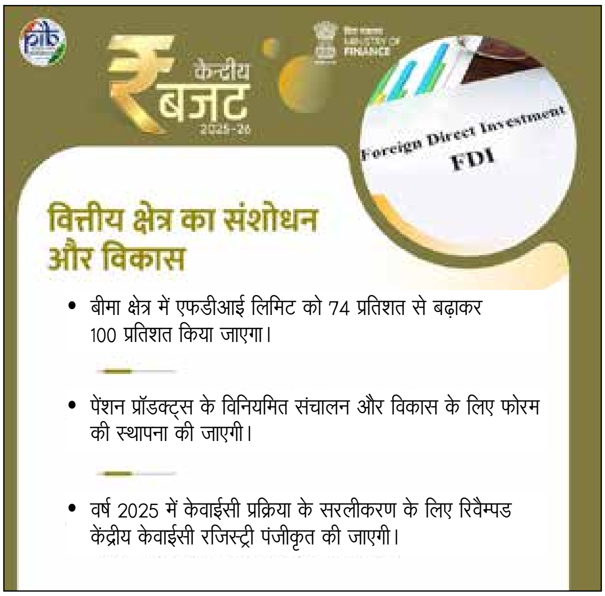

का प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल के बजट में प्रावधान की गई राशि से 1000 करोड़ रुपये अधिक है।

कृषि क्षेत्र के संशोधित व्यय को 1,40,859 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,71,437 करोड़ रुपये किया गया है। पिछले साल के बजट में 1.64 लाख करोड़ रुपये उर्वरक सब्सिडी के लिए दिए गए थे, जिसे बढ़ाकर इस साल के बजट में 1.67 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। वहीं, कृषि विकास योजना के लिए 8,500 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जबकि पिछले साल के बजट में इस मद में 7,553 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। पशुपालन और डेयरी के मद में 1,050 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि पिछले साल के बजट में इस मद में 369 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।

केसीसी ऋण वृद्धि से किसान बनेंगे आत्मनिर्भर

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की ऋण सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे निवेश में वृद्धि होगी, जिससे किसान अधिक फसल उगा सकेंगे और उत्पादन बढ़ने से किसान आत्मनिर्भर होंगे एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था मज़बूत होगी। अनुमान है कि केसीसी की सीमा बढ़ने से 7.75 करोड़ किसानों को लाभ होगा। इसके तहत मिलने वाले कर्ज के ब्याज पर सरकार 2 प्रतिशत की सब्सिडी देती है, वहीं किसानों द्वारा समय पर ऋण चुकाने पर 3 प्रतिशत की छूट अलग से मिलती है। इस तरह, केसीसी की सुविधा लेने वाले किसानों को महज 4 प्रतिशत ब्याज चुकाना होता है।

कम अनाज उत्पादक ज़िलों पर ध्यान

बजट में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की घोषणा की गई है, जिसके तहत 100 वैसे ज़िलों पर ध्यान दिया जाएगा, जहाँ फसलों की कम उपज होती है। इन ज़िलों में वित्तीय मदद, भंडारण, उन्नत बीज, सिंचाई आदि की व्यवस्था सरकार करेगी। इस योजना का मकसद किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। एक अनुमान के अनुसार इस योजना को अमलीजामा पहनाने से 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। राज्यों की भागीदारी के साथ शुरू होने वाली धन-धान्य योजना कम उत्पादक, मध्यम फसल घनत्व और औसत से कम ऋण मानक वाले ज़िलों को सहारा देने के साथ-साथ वहां खेती को बढ़ावा देने का भी काम करेगी। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के अंतर्गत किसानों को कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध होंगे। किसानों को पैदावार बढ़ाने के लिए मुफ्त उर्वरक दिए जाएंगे। छोटे व सीमांत किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद में सब्सिडी भी दी जाएगी।

मिशन मोड में कार्य

बजट में उन्नत किस्म के बीजों के लिए मिशन मोड में कार्यों के संचालन की बात कही गई है। इसके अंतर्गत बीजों की उन्नत क़िस्मों के अनुसंधान और पैदावार को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा, कीट प्रतिरोधी और जलवायु के अनुकूल गुणों से संपन्न बीजों को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

कपास की खेती में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए 5 वर्षीय मिशन की घोषणा की गई है। इसके तहत कपास की अधिक लंबे रेशे वाले क़िस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा। देश में कपास उत्पादन को बढ़ाने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य देश में कपास की गुणवत्ता को सुधारने के साथ-साथ उसके उत्पादन को बढ़ाना है। यह मिशन उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के साथ-साथ प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ाने पर भी ज़ोर देगा।

भारत को दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 6 सालों तक एक मिशन चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य अरहर, उड़द, मसूर आदि दालों के उत्पादन पर विशेष ध्यान देना होगा, ताकि इनके उत्पादन में इज़ाफा हो। इसके तहत खरीद के साथ-साथ भंडारण के लिए वेयर हाउसिंग की सुविधा दी जाएगी। इस मिशन के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड), नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फ़ेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनसीसीएफ) आदि केंद्रीय एजेंसियां अपने यहाँ पंजीकृत किसानों से अगले 4 वर्षों तक 100 प्रतिशत अरहर, उड़द व मसूर दाल की खरीद करेंगी।

नेफेड और एनसीसीएफ ऐसी 2 एजेंसियां हैं, जो 'भारत आटा' ब्रांड की बिक्री का प्रबंधन करती हैं। ये दोनों एजेंसियां किफायती कीमत पर भारत चना दाल और भारत चावल बेचती हैं। हाल में बढ़ी महंगाई को देखते हुए सरकार ने भारत आटा, भारत चना और भारत चावल को खुले बाजार में उतारा था। गौरतलब है कि भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी। देश में दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के बावजूद भारत ज़रूरत के लिए म्यांमार, आस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा आदि देशों से आयात करता है।

मत्स्य उत्पादन पर ज़ोर

मत्स्य उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) का गठन करेगी। फिलहाल, समुद्री खाद्य उत्पादन का मूल्य लगभग 60,000 करोड़ रुपये का है और भारत जलीय कृषि एवं मत्स्य उत्पादन के मामले में विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बजट में की गई इस घोषणा से देश के लगभग 2.8 करोड़ मछुआरों को लाभ मिलने की संभावना है।

आत्मनिर्भर बनने का प्रयास

यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार ने असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता का कारख़ाना लगाने का निर्णय लिया है। यह यूरिया संयंत्र न केवल स्थानीय किसानों की उर्वरक की मांग को पूरा करने में समर्थ होगा, बल्कि अधिक मात्रा में उत्पादन होने पर दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों को भी इसका निर्यात किया जा सकेगा। इसी कड़ी में पूर्वी क्षेत्र में बंद पड़े 3 यूरिया संयंत्रों में उत्पादन शुरू किया गया है। देशभर के किसानों को यहाँ से यूरिया की आपूर्ति की जाएगी, जिससे आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी।

महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य

बजट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की 5 लाख महिलाओं को पहली बार उद्यमी बनने पर पात्रता के अनुसार 2 करोड़ रुपये तक के मियादी ऋण दिए जाने की घोषणा की गई है। इस पहल से कमज़ोर तबके की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। इसी क्रम में सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 मिशन के लिए 21,960 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। पिछले वित्त वर्ष में इस मिशन के लिए 20,071 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इसके तहत 8 करोड़ से अधिक बच्चों, 1 करोड़ प्रसूताओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 20 लाख किशोरियों को लाभ होगा।

'मिशन वात्सल्य' के लिए 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट में की गई इन घोषणाओं का मकसद महिलाओं को सशक्त बनाना है जोकि समावेशी विकास के लिए ज़रूरी भी है। जब तक मुख्यधारा के विकास में देश के सभी लोगों की भागीदारी नहीं होगी, तब तक हम वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के सपने को साकार नहीं कर सकते हैं।

गरीबों की बेहतरी के लिए पहल

गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बजट में सीधे तौर कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री सुनिधि योजना या पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों के लिए ऋण की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव है। यह एक माइक्रो-क्रेडिट योजना है, जिसका मकसद स्ट्रीट विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी मुहैया कराना और उनके कारोबार को औपचारिक बनाना है, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं एवं अन्य सरकारी सहायता का समय-समय पर लाभ मिलता रहे। इस योजना के तहत, स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है। सरकार पहले ही गरीब वर्ग के लिए 3 करोड़ नए घरों का निर्माण करने और मुफ्त राशन योजना की घोषणा कर चुकी है।

इसके अलावा, ग्रामीण महिलाओं, युवाओं, छोटे किसानों आदि के लिए नए रोज़गार एवं कारोबार का सृजन किया जाएगा। साथ ही, भूमिहीन परिवारों के लिए भी रोज़गार के अवसरों को पैदा किया जाएगा।

डाकघरों की मदद से लॉजिस्टिक समस्याओं का समाधान

सरकार 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों को लॉजिस्टिक संगठन में बदलना चाहती है, ताकि इसके ज़रिये नए उद्यमियों, महिलाओं, स्वयंसहायता समूहों, सूक्ष्म, लघु, मझोले उद्यमों (एमएसएमई) व बड़े कारोबारियों की बढ़ती लॉजिस्टिक ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिले। चूंकि, दूसरे माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स का प्रबंधन करने में बहुत ज़्यादा लागत और समय के लगने की संभावना है, इसलिए सरकार ने इस विकल्प को चुना है। ग्रामीण डाकघर इस उद्देश्य को मूर्त रूप देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

बुनियादी ढांचे का सशक्तीकरण

अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने के लिए सरकार ने बजट में बुनियादी ढांचे के विकास और नवाचार पर ज़ोर दिया है। इसके तहत केंद्र सरकार राज्यों को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 50 साल तक के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपये मुहैया कराएगी। इसके अलावा, अगले 5 सालों में नई परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना के ज़रिए नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 10 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य पीपीपी मॉडल यानी निजी कंपनियों के साथ भागीदारी के ज़रिए कार्य करने का प्रस्ताव तैयार करेंगे और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड के तहत केंद्र से मदद लेंगे।

विकास इंजन को और भी कारगर बनाना

बजट में भारत को विनिर्माण का हब बनाने के लिए 'मेक इन इंडिया' पहल को आगे बढ़ाया जाएगा और इस क्रम में राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी, जो राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों के लिए नीतिगत समर्थन, प्रशासन और निगरानी ढांचा उपलब्ध कराएगा। इसका उद्देश्य कारोबार को सुगम बनाना, मांग वाली नौकरियों के लिए कार्यबल तैयार करना, एमएसएमई क्षेत्र की गतिशीलता को बढ़ाना, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का उत्पादन आदि सुनिश्चित करना है।

एमएसएमई वर्गीकरण के लिए निवेश और कारोबार की सीमाओं को क्रमशः 2.5 गुना और 2.0 गुना तक बढ़ाने को भारतीय उत्पादों का विनिर्माण बढ़ाने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इससे देश के निर्यात को गति मिल सकती है। अभी यह क्षेत्र 7.5 करोड़ लोगों को रोज़गार के साथ विनिर्माण में 36 प्रतिशत का योगदान देता है।

देश के कुल निर्यात में एमएसएमई के गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की भागीदारी 45 प्रतिशत के करीब है। निवेश बढ़ने से इस क्षेत्र की वित्तीय स्थिति बेहतर होगी और कारोबार को विस्तार देने में आसानी होगी।

कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया गया है। वहीं, 'उद्यम' पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए पहले साल में 5 लाख रुपये की सीमा वाले 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।

एमएसएमई के नए वर्गीकरण के तहत सालाना 10 करोड़ रुपये से कम कारोबार करने वाली कंपनी सूक्ष्म की श्रेणी में आएंगी। इसी तरह 100 करोड़ रुपये तक के कारोबार करने वाली कंपनी को लघु उद्यम की श्रेणी में रखा जाएगा। 500 करोड़ रुपये तक कारोबार करने वाली कंपनियों को मध्यम श्रेणी की इकाई माना जाएगा। अभी तक 5 करोड़ रुपये तक कारोबार

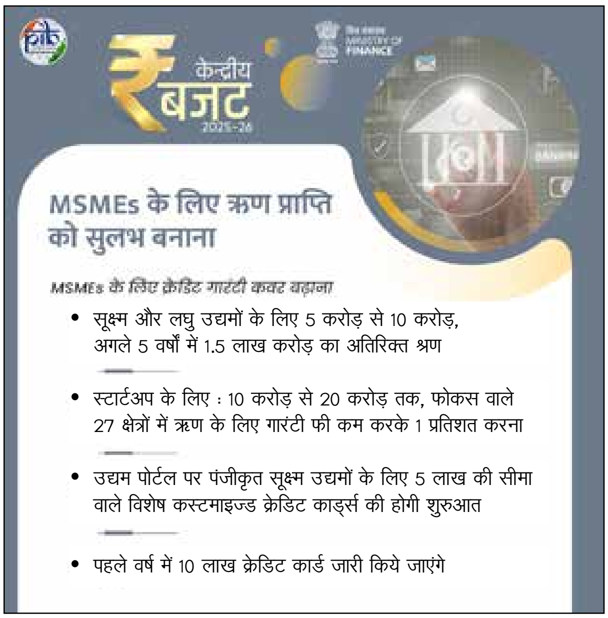

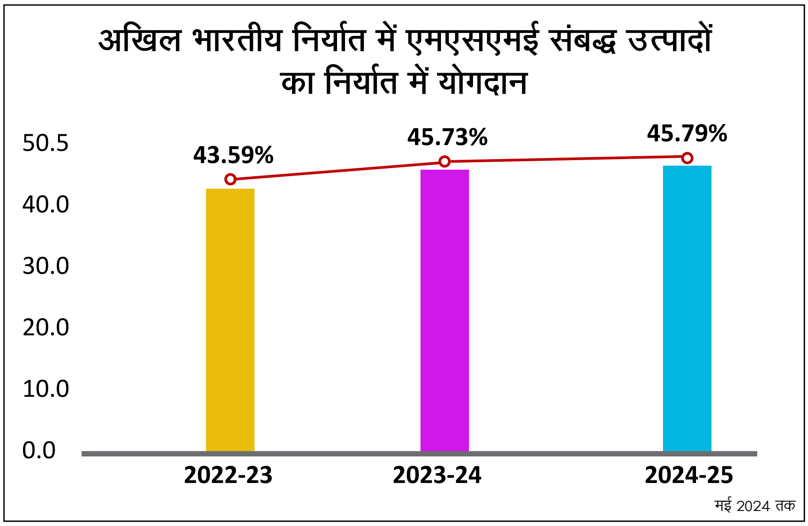

इसके तहत 3 साल तक 100 प्रतिशत आयकर छूट का दावा किया जा सकेगा। पहले ऐसे पात्र स्टार्टअप्स को 1 अप्रैल, 2025 से पहले स्थापित किया जाना चाहिए था लेकिन अब इसके लिए वर्ष 2030 तक मंजूरी वैध रहेगी। इस तरह, देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार सकारात्मक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की कोशिश कर रही है। चूंकि खेती-किसानी और कृषि आधारित उद्योगों से जुड़े कई स्टार्टअप्स आज ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं इसलिए सरकार की इस पहल से ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार सृजित होंगे; साथ ही, आर्थिक गतिविधियों में भी इज़ाफा होगा।

करने वाली कंपनियाँ सूक्ष्म के दायरे में आती थीं, जबकि 50 करोड़ रुपये तक कारोबार करने वाली कंपनियों को लघु और 250 करोड़ रुपये तक कारोबार करने वाली कंपनियों को मध्यम उद्योग की श्रेणी में रखा जाता था।

एमएसएमई में निवेश की भी सीमा बढ़ाई गई है। अब सूक्ष्म कंपनियों में 2.5 करोड़ रुपये, लघु कंपनियों में 25 करोड़ रुपये और मध्यम आकार की कंपनियों में 125 करोड़ रुपये तक निवेश किया जाएगा। अभी तक निवेश सीमा क्रमशः 1 करोड़ रुपये, 10 करोड़ रुपये और 50 करोड़ रुपये थी। एमएसएमई में इन नए बदलावों व प्रावधानों से निवेश में तेजी आएगी और विकास के कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, बड़ी संख्या में देश में रोज़गार के अवसर भी सृजित होंगे।

स्टार्टअप्स के ज़रिए विकास

बजट में कहा गया है कि देश में 10,000 करोड़ रुपये की राशि से स्टार्टअप वित्त पोषण के लिए नया फंड बनाया जाएगा। इसे अधिक वित्त पोषित करने और आसान शर्तों के साथ ऋण मुहैया कराने की सुविधा के साथ उद्यमशीलता और नवाचार बढ़ाने पर भी बजट में ज़ोर दिया गया है। इससे रोज़गार और कारोबार के अवसर सृजित होंगे और भारतीय उत्पादों को दुनिया के कोने-कोने तक पहुँचाने का सपना साकार हो सकेगा।

इसके अतिरिक्त, ऋण तक पहुँच को बेहतर बनाने के लिए स्टार्टअप्स के क्रेडिट गारंटी कवर को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये किया गया है। गारंटी शुल्क को 1 प्रतिशत तक कम किया गया है, जो 27 प्रमुख क्षेत्रों में ऋण के संदर्भ में लागू होगा। आयकर की धारा 80 आईएसी में भी संशोधन किया जाएगा। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 आईएसी पात्र स्टार्टअप्स को उनके निगमन के पहले दस वर्षों में से लगातार 3 वित्तीय वर्षों के लिए कर छूट प्रदान करती है। यह छूट डिपार्टमेंट फ़ॉर प्रमोशन ऑफ़ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को दी जाती है।

निष्कर्ष

देश की अर्थव्यवस्था के उपभोग या खपत आधारित होने के कारण शहर एवं गाँव के लोगों की आय बढ़ाने के उपाय बजट में किए गए हैं। केसीसी की ऋण सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने से किसानों की आय और फसलों के उत्पादन में इज़ाफा होगा। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के ज़रिए वैसे 100 जिलों में फसलों के उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश की गई है, जहाँ फसलों का उत्पादन कम होता है। उन्नत बीज, कपास और दाल के उत्पादन में बढ़ोतरी लाने के लिए मिशन की तर्ज पर काम किया जाएगा। आज जितना ज़रूरी फसलों के उत्पादन में इज़ाफा लाना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी जलीय कृषि में भी वृद्धि करना है। लिहाज़ा, मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र में अब भी लॉजिस्टिक्स की गंभीर समस्या बनी हुई है अर्थात् यहाँ वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मुश्किलें आती हैं। समय पर अनाज,

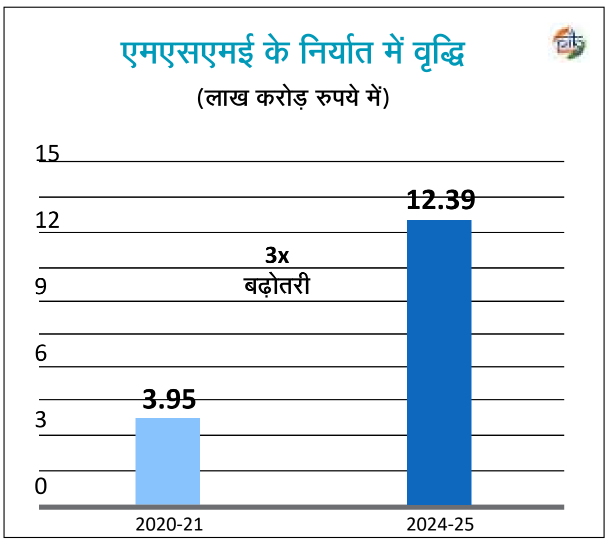

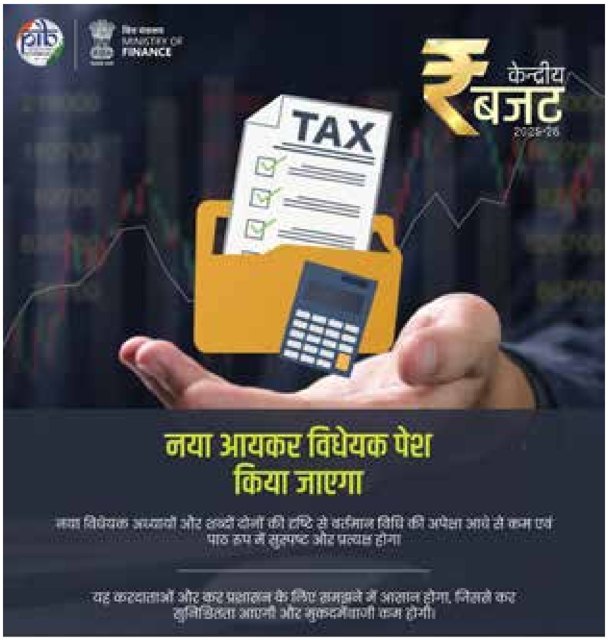

सब्जियां एवं अन्य उत्पादों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुँचने से किसानों और उद्यमियों को नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए इस समस्या के निदान के रूप में 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों को लॉजिस्टिक संगठन में बदलने का प्रस्ताव किया गया है।

देश में समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए वंचित तबके की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना बेहद ही ज़रूरी है। इसलिए इन्हें ऋण देने का प्रावधान बजट में किया गया है। साथ ही, बालिका, किशोरी और महिला स्वस्थ रहें, इसके लिए भी बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। ऐसा करने से स्वास्थ्य मद में कम खर्च होगा और उस राशि का इस्तेमाल विकास को गति प्रदान करने में किया जा सकेगा।

स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में कई उपाय किए गए हैं, जिससे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार और विकास को बढ़ावा मिलेगा। बुनियादी ढांचे को मज़बूत किए बिना किसी भी क्षेत्र का विकास नहीं किया जा सकता है; अतः बजट में बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने वाले उपायों का भी प्रावधान किया गया है।

एमएसएमई को 'विकास का इंजन' कहा जाता है इसलिए इस क्षेत्र को मज़बूत करने के लिए बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। साथ ही, नौकरीपेशा और अन्य आयकर दाताओं को कर में राहत देकर उन्हें बचत एवं खर्च करने के लिए प्रेरित किया गया है। साथ ही, दिहाड़ी श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा व जूते, खिलौने, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन जैसे श्रम केंद्रित क्षेत्रों को भी बजट में बढ़ावा दिया गया है।

ज़ाहिर है, केसीसी की ऋण सीमा में वृद्धि, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की शुरुआत, उन्नत बीज का इस्तेमाल, कपास, दाल, मत्स्य आदि के उत्पादन को बढ़ाने वाले उपायों, लॉजिस्टिक्स की समस्या को दूर करने, वंचित तबके की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, बुनियादी ढांचा, स्टार्टअप्स, एमएसएमई आदि को मज़बूत करने से ग्रामीणों की आय बढ़ेगी, जिससे बचत, निवेश, खपत एवं आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी आएगी और हमारी अर्थव्यवस्था मज़बूत होगी। ❑

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

ई-रिसोर्स एग्रीगेटर (ईआरए)

के एम्पैनलमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित

सरकार के प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्थान से जुड़ने और उसके ई-प्रकाशनों के विक्रय का सुनहरा अवसर

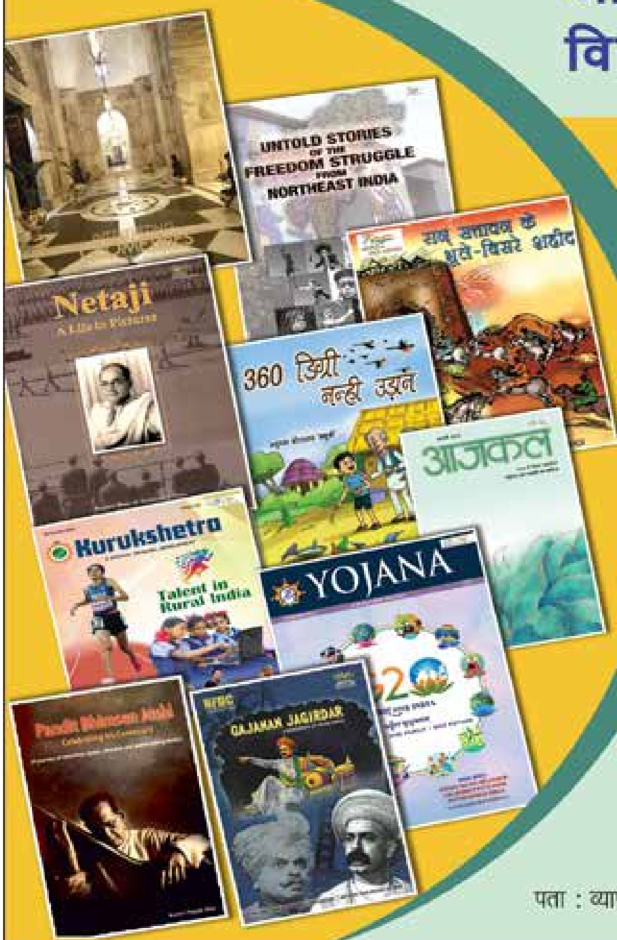

प्रमुख लाभ :-

- प्रकाशन विभाग की लोकप्रिय ई-पुस्तकें और ई-पत्रिकाएं उपलब्ध कराने का अवसर।
- प्राप्त राजस्व में 30% की निश्चित हिस्सेदारी।
- किसी निवेश की आवश्यकता नहीं।
- मात्र 2000 रुपये का पंजीकरण शुल्क।

अधिक जानकारी के लिए देखें –
www.publicationsdivision.nic.in

संपर्क करें
फोन : 011 24365609
ईमेल : businesswng@gmail.com
पता : व्यापार स्कंध, कमरा संख्या–758, सूचना भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

कृषि के प्रगतिशील भविष्य का दस्तावेज़

*भुवन भास्कर

वित्त वर्ष 2025-26 का बजट कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए एक प्रगतिशील दस्तावेज़ है, जो आने वाले समय में कृषि के भविष्य के लिए उम्मीद देता है। चुनौतियां अवश्य हैं, लेकिन सरकार के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए कहा जा सकता है कि उपलब्ध संसाधनों के भरपूर इस्तेमाल से यह कृषि और किसान दोनों की समृद्धि बढ़ाने वाला बजट साबित होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2025 को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए कृषि को "भारत की विकास यात्रा का पहला इंजन" बताया। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी कृषि और ग्रामीण विकास को लेकर बजट में कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक घोषणाएं की गईं। ऐसे समय जब जलवायु परिवर्तन, किसानों की आमदनी में धीमी वृद्धि और ग्रामीण इलाकों में बेरोज़गारी प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं, वित्त मंत्री ने न सिर्फ पिछली योजनाओं को बढ़ी हुई फंडिंग के माध्यम से और प्रभावी बनाने का प्रयास किया बल्कि कुछ नई योजनाओं के ज़रिए कृषि की संरचनात्मक और दीर्घकालिक समस्याओं के समाधान की ओर भी कदम बढ़ाया।

बजट 2025-26 में कृषि और ग्रामीण भारत को सशक्त करने के लिए सरकार ने जो अप्रोच अपनायी है, उसे निम्न बिंदुओं में बांटा जा सकता हैः

संरचनात्मक सशक्तीकरण

भूगोल आधारित योजनाएं

- कृषि की नींव को सशक्त करने के लिए इस बजट में जो प्रभावी निर्णय लिए गए हैं, उनमें प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को सबसे ऊपर रखा जा सकता है। इस योजना के तहत कम उत्पादकता, कम फसलों की संख्या और औसत से कम कर्ज़ मानकों वाले 100 ज़िलों को चुनकर वहां राज्यों की भागीदारी से तमाम मौजूदा योजनाओं के

*लेखक कृषि मामलों के विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में एग्री स्टार्टअप कंपनी क्रॉपर्स के सीईओ हैं। ईमेलः **bhaskarbhuwan@gmail.com**

साथ कुछ विशेष कदम उठाए जाएंगे। इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "PM-DDKY कृषि की उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण, और सतत कृषि कार्यों में सर्वोत्कृष्ट कार्यकलापों को अपनाने पर केंद्रित होगी। इसके साथ ही पंचायत और ब्लॉक लेवल पर फसल उपरांत भंडारण क्षमता को बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने और छोटी तथा लंबी अवधि के कर्ज़ की उपलब्धता बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा जाएगा।" ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि और आर्थिक स्थिरता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की जाने वाली इस योजना के तहत कौशल, निवेश और प्रौद्योगिकी को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ जोड़कर रोज़गार के नए साधन तैयार करने पर ज़ोर होगा जिससे किसी को भी मजबूरी में पलायन न करना पड़े। इसमें ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, ग्रामीण युवाओं और छोटे, सीमांत किसानों तथा भूमिहीन परिवारों पर विशेष ज़ोर होगा।

- बिहार में पैदा होने वाला मखाना एक विशिष्ट हाई वैल्यू नकदी फसल है जिसकी लोकप्रियता धीरे-धीरे अब देश भर में बढ़ रही है। इसके कारण मखाने के बढ़ते उपभोग का फायदा किसानों तक पहुँचाने के लिए वित्त मंत्री ने मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की जो इस फसल के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन से लेकर मार्केटिंग तक में मखाना किसानों की मदद करेगा। बोर्ड मखाना उत्पादकों का किसान उत्पादन संगठन (FPO) बनाएगा, उनकी मदद करेगा, उन्हें प्रशिक्षण देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचे।

फसल आधारित योजनाएं

- तिलहन और दलहन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार के संकल्प को फिर दोहराते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की कि खाद्य तेल के लिए राष्ट्रीय मिशन के ज़रिए किसानों ने पहले ही देश की आवश्यकता के मुताबिक पर्याप्त तिलहन उत्पादन की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं और अब सरकार का ध्यान दालों पर होगा। सुश्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "दस वर्ष पहले हमने दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सम्मिलित प्रयास शुरू किए और इस उद्देश्य में काफी हद तक सफलता भी हासिल की। किसानों ने समय की ज़रूरत को समझते हुए दालों के रकबे में 50% की वृद्धि की और सरकार ने बेहतर कीमतों पर खरीद की व्यवस्था की। उसके बाद से लोगों की बढ़ती आमदनी और बेहतर कीमतों के कारण हमारे दाल के उपभोग में भी खासी बढ़ोतरी हुई है।" इसके साथ ही उन्होंने तूर, उड़द और मसूर दालों पर विशेष ध्यान देते हुए दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 वर्षों के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि नाफेड और एनसीसीएफ के पास पंजीकृत किसानों से ये एजेंसियां यथासंभव इन तीनों दालों की खरीद करेंगी।
- देश के किसानों को अच्छी सेहत वाले उच्च-उत्पादक बीजों की समय से और पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति हो सके, यह सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्री ने बजट में एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की। जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि के सामने उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए जुलाई 2024 के बाद से लेकर अब तक जारी किए गए उच्च उत्पादन वाले, कीटरोधी और जलवायु परिवर्तन के प्रति कम संवेदनशील 100 से ज़्यादा प्रकार के बीजों का प्रसार

किया जाएगा और वाणिज्यिक रूप से उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे। एग्री रिसर्च के इकोसिस्टम को मज़बूत करने पर केंद्रित इस मिशन का लक्ष्य दरअसल प्रयोगशालाओं और खेतों के बीच की दूरी को कम करना होगा।

- टेक्सटाइल मंत्रालय के एक अनुमान के मुताबिक भारतीय टेक्सटाइल और अपैरल का बाज़ार 2030 तक 10% की दर से बढ़ते हुए 350 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगा, जिसमें निर्यात की हिस्सेदारी 100 अरब डॉलर होगी। देश के जीडीपी में टेक्सटाइल और अपैरल उद्योग की हिस्सेदारी 2.3% है, जबकि औद्योगिक उत्पादन में यह 13% और निर्यात में 12% है। यह अनुमान है कि इस दशक के अंत में जीडीपी में इस उद्योग की हिस्सेदारी दुगुनी होकर 4.5% के आसपास रहेगी। टेक्सटाइल उद्योग की इस रफ्तार को कायम रखने के लिए सरकार ने बजट में कपास की उत्पादकता को लेकर भी एक मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की है। मिशन के तहत अगले 5 वर्षों में सरकार कपास की खेती में उत्पादकता और सस्टेनेबिलिटी में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए और एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाएगी।

कृषि अवसंरचना आधारित योजनाएं

बजट में वित्त मंत्री ने यूरिया आपूर्ति में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए असम के नामरूप में 12.7 लाख टन सालाना क्षमता का प्लांट लगाने की घोषणा की। भूजल की हर बूंद का अधिकतम उपयोग करने के लिए चलाई जा रही 'प्रति बूंद अधिक फसल' योजना हेतु 15,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि गाँवों को शहरी केंद्रों और मंडियों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को 40,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

किसानों को सीधी मदद वाली योजनाएं

किसानों के लिए अपनी कृषि संबंधित आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करना एक बड़ी चुनौती होती है और अक्सर इसी में किसान स्थानीय साहूकारों के चक्कर में पड़कर कर्ज़ के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) इन परिस्थितियों में किसानों के लिए जीवनरेखा का काम करते हैं। इनके महत्व को देखते हुए वित्त मंत्री ने इसका दायरा बढ़ाकर इसमें मछली पालकों और डेयरी किसानों को भी शामिल कर लिया है, जिससे इसका लाभ उठाने वाले किसानों की कुल संख्या 7.7 करोड़ हो गई है। साथ ही, केसीसी की सीमा को भी 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। खेती का मशीनीकरण करने और बेहतर बीजों की समय पर आपूर्ति में यह सुविधा काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

किसानों को आर्थिक रूप से सीधे लाभ पहुँचाने वाली पीएम-किसान और मनरेगा जैसी योजनाएं जारी रखी गई हैं। बजट 2025-26 ने किसानों को प्रत्यक्ष तौर पर आर्थिक सहायता देने के साथ ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी शहरी इलाकों और मंडियों से करने पर पर्याप्त ध्यान दिया है। मोदी सरकार की कृषि केंद्रित नीतियों के कारण ही पिछले 10 वर्षों में भारतीय कृषि और किसानों के लिए होने वाले सरकारी प्रयासों में बड़े बदलाव आए हैं।

भारत सरकार का 2008-09 में कृषि के लिए आवंटन 11915.22 करोड़ रुपये था, जो 2025-26 में बढ़कर 1,37,757 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। हालांकि यह राशि 2024-25 के संशोधित बजटीय अनुमान की तुलना में 2.5% कम है, लेकिन

यदि देश के समूचे सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लिहाज से देखें, तो यह उसका 2.7% हिस्सा बैठता है।

देश का अनाज उत्पादन 2004-05 में 20.46 करोड़ टन था, जो कि 2023-24 तक बढ़कर 33.23 करोड़ टन हो चुका था। अनाज उत्पादन में 20 साल के भीतर लगभग 65% की इस वृद्धि के पीछे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की बड़ी भूमिका रही है, जिसमें फसलों की संख्या से लेकर मूल्य तक का तेजी से विस्तार हुआ है। जहां 2008-09 में धान का न्यूनतम बिक्री मूल्य (MSP) 850 रुपये और गेहूं का MSP 1080 रुपये प्रति क्विंटल था, वहीं 2024-25 में यह बढ़कर धान के लिए 2300 रुपये और गेहूं के लिए 2275 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुँच गया। न सिर्फ MSP में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि इससे लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या में भी बड़ी संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 2004-13 के दौरान जहां धान के किसानों को MSP के माध्यम से 4.40 और गेहूं के किसानों को 2.20 लाख करोड़ रुपये प्राप्त हुए, वहीं 2014-24 के दौरान यह रकम बढ़कर क्रमशः 12.51 लाख करोड़ रुपये और 5.44 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गई।

यदि सिर्फ 2014 के बाद से लॉन्च की गई कृषि क्षेत्र की योजनाओं पर नज़र डालें, तो पीएम-किसान (फरवरी 2019 में घोषित और 1 दिसंबर, 2018 से लागू) के तहत जहां 3.46 लाख करोड़ रुपये का वितरण किया गया है, वहीं 18 फरवरी, 2016 को लॉन्च प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत 1.65 लाख करोड़ रुपये के दावों का निस्तारण किया गया है। साथ ही, पूरे देश में कृषि बाज़ार बनाने के उद्देश्य से 14 अप्रैल, 2016 को लॉन्च किया गया इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ENAM) नेटवर्क 1400 से ज़्यादा मंडियों तक पहुँच चुका है। इस वर्ष वित्त मंत्री ने ई-नाम को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) से जोड़ने की घोषणा की है, जिससे निश्चित तौर पर पूरे देश को एक बाज़ार के रूप में विकसित करने की दिशा में मदद मिलेगी। वर्ष 2020 के बजट में घोषित कृषि बुनियादी संरचना कोष (AIF) के तहत फसल उपरांत प्रबंधन की बेहतरी के लिए 87,500 से ज़्यादा परियोजनाओं के लिए 52738 करोड़ रुपये का आवंटन किया जा चुका है।

चुनौतियां

बजट में जो फंड आवंटन किया गया है, उसे कई विशेषज्ञ कृषि के सामने बढ़ती चुनौतियों के लिहाज से नाकाफी मान रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से लगातार बजट पूर्व पेश किए जाने वाले आर्थिक सर्वेक्षण में जलवायु परिवर्तन के संभावित खतरों के प्रति सरकार आगाह करती रही है। लेकिन जिस पैमाने पर इससे मुकाबले के लिए रिसर्च पर खर्च में बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसका अभाव दिखता है। बजट 2025-26 में 109 उच्च उत्पादन वाली, जलवायु परिवर्तन के प्रति कम संवेदनशील 32 फसलें जारी किए जाने पर ज़ोर दिया गया है, लेकिन कृषि से संबंधित शोध एवं अनुसंधान के लिए सिर्फ 0.5% आवंटन को देखते हुए इसे हासिल कर पाना एक कठिन लक्ष्य होगा। इसी प्रकार लगभग 55% कृषि मजदूरों को पीएम-किसान योजना में शामिल करने की पुरानी मांग पर इस बार भी बजट में कुछ नहीं कहा गया है।

सब्जियों और फलों के लिए मिशन के तहत सरकार ने बजट में 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इसका लक्ष्य उत्पादन बढ़ाना, आपूर्ति श्रृंखला को मज़बूत करना और प्रसंस्करण विकसित करना है ताकि किसानों को बेहतर दाम हासिल हो सकें। किंतु उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में पैदा होने वाले कुल सब्जियों और फलों का 18% बर्बाद हो जाता है, जिनकी कीमत 13,300 करोड़ रुपये है। इतनी बड़ी मात्रा में फलों और सब्जियों के लिए उत्पादन, प्रसंस्करण और आपूर्ति श्रृंखला का तंत्र तैयार करना 500 करोड़ रुपये के बजट में होना संभव नहीं है। इसलिए इस पूरी योजना की सफलता का दारोमदार इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने पर है।

कुल मिलाकर 2025-26 का बजट कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए एक प्रगतिशील दस्तावेज़ है, जो आने वाले समय में कृषि के भविष्य के लिए उम्मीद देता है। चुनौतियां अवश्य हैं, लेकिन सरकार के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए कहा जा सकता है कि उपलब्ध संसाधनों के भरपूर इस्तेमाल से यह कृषि और किसान दोनों की समृद्धि बढ़ाने वाला बजट साबित होगा। ❑

स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करने की ओर

*आकांक्षा जैन

केंद्रीय बजट 2025-26 भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास, चिकित्सा शिक्षा, कैंसर देखभाल और चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस बजट में बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों जैसे कमज़ोर समूहों के लिए स्वास्थ्य सेवा और पोषण सहायता को मज़बूत करने पर विशेष ज़ोर दिया गया है। यह बढ़ी हुई फंडिंग और रणनीतिक पहलों के माध्यम से भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मज़बूत करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट भारत के स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को कुल 99,858.56 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए 95,957.87 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के लिए 3,900.69 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष से लगभग 11% की वृद्धि दर्शाता है। एक प्रमुख पहल चिकित्सा शिक्षा का विस्तार है, जिसमें अगले पांच वर्षों में 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने की योजना है। इस विस्तार का उद्देश्य स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी को दूर करना और देश भर में चिकित्सा शिक्षा तक पहुँच में सुधार करना है।

केंद्रीय बजट 2025-26 भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास, चिकित्सा शिक्षा, कैंसर देखभाल और चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कैंसर देखभाल में, बजट में अगले तीन वर्षों के भीतर ज़िला अस्पतालों में 200 डे-केयर कैंसर केंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव है। इस पहल का उद्देश्य कैंसर के उपचार को और अधिक सुलभ बनाना है, खासकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में, जिससे प्रमुख अस्पतालों पर बोझ कम हो।

एसोसिएट प्रोफेसर (खाद्य एवं पोषण), भगिनी निवेदिता कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय। ईमेलः akanshajain@bn.du.ac.in

सरकार ने चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी उपाय शुरू किए हैं, जिसमें आसान वीज़ा मानदंडों की सुविधा और निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी शामिल है। ये कदम भारत को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने, अंतर्राष्ट्रीय रोगियों को आकर्षित करने और चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, बजट में 36 जीवन रक्षक दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट शामिल है, जिसका उद्देश्य आवश्यक दवाओं की लागत को कम करना और रोगियों के लिए सामर्थ्य में सुधार करना है।

बजट 2025-26 'आयुष्मान भारत' पहल के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा को मज़बूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिसमें चार प्रमुख घटक शामिल हैं:

आयुष्मान आरोग्य मंदिर: इस नए कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे देश में कल्याण केंद्र स्थापित करना है, जो निवारक स्वास्थ्य सेवा और प्रारंभिक निदान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये केंद्र स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान करेंगे, जो स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देंगे।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई): भयावह स्वास्थ्य व्यय के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के अपने मिशन को जारी रखते हुए, पीएम-जेएवाई माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करता है। बजट ने योजना की पहुँच का विस्तार करने के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित की है, जिसका उद्देश्य अधिक लाभार्थियों को कवर करना और उपचारों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल करना है।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम): यह मिशन ज़िलों में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक विकसित करके, एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना करके और एक मज़बूत आईटी सक्षम रोग निगरानी प्रणाली बनाकर देश की स्वास्थ्य अवसंरचना को मज़बूत करने पर केंद्रित है। 2025-26 के बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए पीएम-एबीएचआईएम के लिए धन आवंटन में वृद्धि की गई है विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में, ताकि स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए बेहतर तैयारी सुनिश्चित की जा सके।

पीएम-एबीएचआईएम पर अधिक ध्यान देने के साथ पूरे भारत में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मज़बूत करना: बजट 2025-26 पीएम-एबीएचआईएम के माध्यम से स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। देश भर में सुविधाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित यह पहल सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करती है।

बजट अनुमान 2025-26 में पीएम-एबीएचआईएम के तहत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए 4,758 करोड़ रुपये आवंटित किए गए; बजट अनुमान 2024-25 (3,756.47 करोड़ रुपये) की तुलना में 1,001.88 करोड़ रुपये (+26.67%) की वृद्धि दर्शाता है।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम): एबीडीएम का उद्देश्य नागरिकों को विशिष्ट स्वास्थ्य आईडी प्रदान करके, स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ कर और स्वास्थ्य सेवाओं तक निर्बाध पहुँच की सुविधा प्रदान करके एक व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। बजट में इस मिशन को गति देने, डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार, स्वास्थ्य प्रणालियों

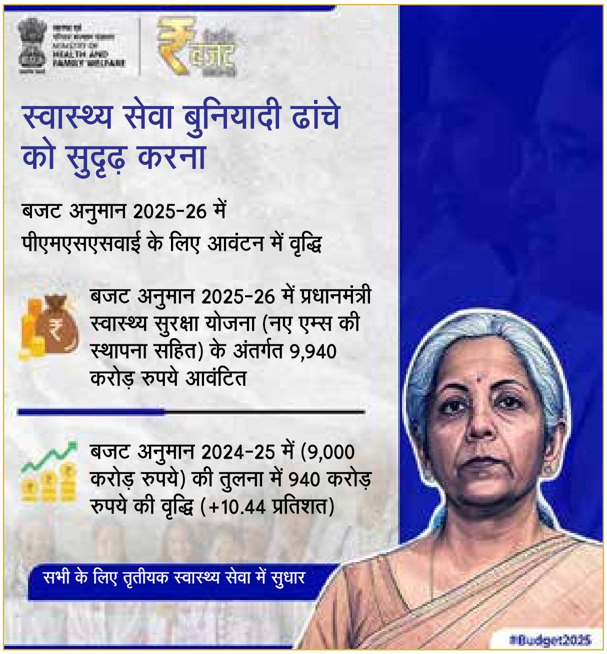

के बीच अंतर-संचालन को बढ़ावा देने और डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों का आवंटन करने पर ज़ोर दिया गया है।

कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट 2025-26 में आयुष्मान भारत के ये घटक स्वास्थ्य सेवा के प्रति समग्र दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जिसमें भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए निवारक देखभाल, वित्तीय सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास और डिजिटल एकीकरण पर ज़ोर दिया गया है।

चिकित्सा शिक्षा का विस्तार- 10,000 अतिरिक्त सीटें

स्वास्थ्य सेवा की मांग और योग्य पेशेवरों की उपलब्धता के बीच की खाई को पाटने के लिए, बजट में आने वाले वर्ष में देश भर के कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 मेडिकल सीटें जोड़ने का प्रस्ताव है। अगले पाँच वर्षों में, कुल 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी, जिससे भारत के स्वास्थ्य सेवा कार्यबल का महत्वपूर्ण रूप से विस्तार होगा। चिकित्सा शिक्षा में निरंतर वृद्धि के साथ 'आत्मनिर्भर' भारत के सरकार के विज़न को विस्तार मिलता है। आने वाले वर्षों में और अधिक सीटें जोड़ने की योजना के साथ, भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करते हुए अधिक मज़बूत और अधिक टिकाऊ होने की राह पर है।

बढ़ी हुई मेडिकल सीटों का प्रभाव

- **डॉक्टरों की कमी को दूर करना:** भारत में डॉक्टर से रोगी अनुपात में अंतर है, और यह विस्तार इस समस्या को कम करने में मदद करेगा।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को मज़बूत करना:** अधिक चिकित्सा पेशेवरों का मतलब है खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा पहुँच।
- **चिकित्सा अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना:** अधिक छात्र और संस्थान चिकित्सा विज्ञान में प्रगति में योगदान देंगे।
- **एम्स और अन्य संस्थानों को मज़बूत करना:** विस्तार एम्स और राज्य द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों के विकास में मदद करेगा।

सभी ज़िला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर सेंटर

बजट का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में सभी ज़िला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर सेंटर स्थापित करके कैंसर के उपचार को और अधिक सुलभ बनाना है। अकेले 2025-26 में 200 केंद्र चालू हो जाएंगे।

डे-केयर कैंसर सेंटर का महत्व

- **समय पर और किफायती उपचार:** इससे उन रोगियों पर वित्तीय बोझ कम होता है जिन्हें अन्यथा मेट्रो शहरों की यात्रा करनी पड़ती है।
- **प्रारंभिक निदान और हस्तक्षेप:** इससे प्रारंभिक पहचान और उपचार को बढ़ावा मिलता है, जिससे जीवित रहने की दर में सुधार होता है।
- **स्वास्थ्य सेवा का विकेंद्रीकरण:** यह सुनिश्चित करता है कि विशेष उपचार टियर-2 और टियर-3 शहरों तक पहुँचे।
- **अस्पताल का बोझ कम होना:** कीमोथेरेपी और अन्य डे-केयर उपचारों को संभालने से, प्रमुख अस्पताल जटिल मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

कार्यरत कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना

गिग अर्थव्यवस्था के उदय के साथ, सरकार ने गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है, जो स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय सुरक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करती है।

मुख्य विशेषताएं

- **ई-श्रम पोर्टल पर पहचान पत्र और पंजीकरणः** गिग श्रमिकों की औपचारिक मान्यता।
- **पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कवरेजः** चिकित्सा देखभाल तक पहुँच सुनिश्चित करना।
- **पेंशन और सामाजिक लाभः** बीमा और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए संभावित प्रावधान।
- **नौकरी की सुरक्षा और कल्याण उपायों में वृद्धिः** गिग श्रमिकों को शोषण से बचाना।

जल जीवन मिशनः बढ़ी हुई लागत के साथ 2028 तक जारी

जल जीवन मिशन, जिसका उद्देश्य हर घर को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है, को वित्तीय आवंटन में वृद्धि के साथ इसकी अवधि 2028 तक बढ़ायी जाएगी।

अपेक्षित परिणामः

- **सार्वभौमिक नल जल आपूर्तिः** यह सुनिश्चित करना कि हर ग्रामीण घर में पाइप से पानी उपलब्ध हो।
- **जलजनित बीमारियों में कमीः** संदूषण को खत्म करके सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना।
- **रोज़गार सृजनः** बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से रोज़गार सृजन।
- **महिला सशक्तीकरणः** पारंपरिक रूप से घरों के लिए पानी लाने वाली महिलाओं पर बोझ कम करना।

मिशन स्वच्छ भारत

स्वास्थ्य और स्वच्छता एक-दूसरे से बेहद करीब से जुड़े हैं। ऐसे में स्वच्छता हेतु आवंटन पर नज़र डालना भी ज़रूरी हो जाता है। यूं तो स्वच्छ भारत अभियान के लिए 2025 के बजट में 12,192 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। शहरी घटक को 5,000 करोड़ रुपये मिले हैं, जबकि ग्रामीण केंद्रित योजना को इस साल के बजट में भी पिछले साल के बराबर 7,192 करोड़ रुपये मिले हैं। ग्रामीण भारत हेतु स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2022 से अपरिवर्तित आवंटन स्वच्छता बुनियादी ढांचे को बनाए रखने और विस्तार में बाधा पैदा कर सकता है। जनसंख्या में लगातार वृद्धि और बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की आवश्यकता के साथ ODF प्लस पहलों को बढ़ाने, अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं को आधुनिक बनाने और स्वच्छता कार्यबल प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए बजट आवंटन बढ़ाना बेहद आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, मुद्रास्फीति और बढ़ती परिचालन लागत मौजूदा बजट आवंटन की प्रभावशीलता को सीमित कर सकती है।

मेडिकल टूरिज़्म और हील इन इंडिया पहल

सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय रोगियों को आकर्षित करने, मेडिकल टूरिज़्म को बढ़ावा देने और भारत की वैश्विक स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में स्थिति को बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण और आसान वीज़ा मानदंडों का प्रस्ताव दिया है।

मुख्य विशेषताएं

- **निजी-सार्वजनिक भागीदारी को मज़बूत करनाः** निजी अस्पतालों को अंतर्राष्ट्रीय रोगियों की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- **सरलीकृत वीज़ा प्रक्रियाः** अंतर्राष्ट्रीय रोगियों के लिए विशेष चिकित्सा वीज़ा।
- **विश्वस्तरीय सुविधाएं और बुनियादी ढांचाः** अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं को उन्नत करना।
- **विदेशी मुद्रा आय में वृद्धिः** स्वास्थ्य सेवा पर्यटन के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।

जीवनरक्षक दवाओं के लिए सीमा शुल्क में छूट

मरीजों पर लागत का बोझ कम करने के लिए, बजट में सीमा शुल्क में छूट और आवश्यक दवाओं के लिए रियायती दरें शामिल हैं।

मुख्य प्रावधान

- 36 जीवनरक्षक दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) से पूरी तरह छूट दी गई।
- 6 जीवनरक्षक दवाएं 5% की रियायती सीमा शुल्क वाली दवाओं की सूची में शामिल।
- 37 नई दवाएं और 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रम करमुक्त कर शामिल किए गए।

प्रभाव

- पुरानी और दुर्लभ बीमारियों के इलाज की कम लागत
- वंचित रोगियों के लिए आवश्यक दवाओं तक बेहतर पहुँच
- दवा अनुसंधान और विकास के लिए समर्थन

कृषि भारत की अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है, जो रोज़गार और सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आर्थिक समृद्धि को आगे बढ़ाने में इसकी भूमिका को पहचानते हुए, केंद्रीय बजट 2025-26 ने एक प्रमुख विकास उपाय के रूप में कृषि विकास और उत्पादकता को प्राथमिकता दी है। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), निवेश और निर्यात के साथ-साथ कृषि भी आर्थिक विकास के चार शक्तिशाली इंजनों में से एक है।

बजट में कृषि क्षेत्र को मज़बूत करने, किसानों की आय बढ़ाने और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई पहलों की रूपरेखा दी गई है। इन प्रस्तावों का उद्देश्य उत्पादकता को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे में सुधार करना, बेहतर ऋण पहुँच सुनिश्चित करना और आवश्यक वस्तुओं में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना

कृषि ज़िलों का विकास कार्यक्रम केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित प्रमुख पहलों में से एक प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना है, जिसका उद्देश्य कम उत्पादकता और अपर्याप्त ऋण मापदंडों वाले कृषि ज़िलों का उत्थान करना है। आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित होकर, इस योजना को राज्य सरकारों के सहयोग से लागू किया जाएगा ताकि 100 चिह्नित कृषि ज़िलों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

योजना के उद्देश्य

- आधुनिक तकनीकों और सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों को अपनाकर कृषि उत्पादकता को बढ़ाना।
- भूमि उपयोग को अनुकूलित करने और जलवायु लचीलापन को बढ़ावा देने के लिए फसल विविधीकरण और टिकाऊ खेती के तरीकों को प्रोत्साहित करना।
- पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कटाई के बाद भंडारण सुविधाओं को मज़बूत करना, ताकि बर्बादी कम हो और किसानों को बेहतर कीमत मिले।
- पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई के बुनियादी ढांचे में सुधार करना, जिससे फसल की पैदावार में सुधार हो।
- किसानों के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक वित्तीय सहायता सुनिश्चित करके ऋण तक पहुँच को सुगम बनाना, जिससे अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर उनकी निर्भरता कम हो।

इस पहल से लगभग 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे ग्रामीण कृषि उत्पादन, आय के स्तर और समग्र आर्थिक लचीलापन में महत्वपूर्ण सुधार होगा।

ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन का निर्माण

रोज़गार संबंधी चिंताओं को दूर करने और ग्रामीण आर्थिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए, ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम को एक बहुक्षेत्रीय पहल के रूप में पेश किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण भारत में रोज़गार के अवसर पैदा करना है, जिससे शहरी केंद्रों की ओर पलायन की मज़बूरी कम हो।

कार्यक्रम के प्रमुख घटक

- ग्रामीण युवाओं और किसानों को उन्नत कृषि और संबद्ध कौशल से लैस करने के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- सूक्ष्म व्यवसायों और कृषि आधारित उद्योगों का समर्थन करने के लिए ग्रामीण उद्यमों में निवेश को प्रोत्साहित करना।
- कृषि पद्धतियों को आधुनिक बनाने, उत्पादकता बढ़ाने और

कुशल कृषि प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।

- स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और उद्यमशील उपक्रमों के लिए सहायता प्रदान करके ग्रामीण महिलाओं के लिए वित्तीय स्वतंत्रता को मज़बूत करना।
- सीमांत और छोटे किसानों के लिए भंडारण अवसंरचना को बढ़ाना ताकि फसल कटाई के बाद बेहतर प्रबंधन और बाज़ार तक पहुँच सुनिश्चित हो सके।
- भूमिहीन परिवारों के लिए विविध आजीविका के अवसर, जिससे उन्हें डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री, मत्स्य पालन और हस्तशिल्प जैसे संबद्ध क्षेत्रों में शामिल होने की अनुमति मिले।

इस पहल का उद्देश्य बहुपक्षीय विकास बैंकों से वित्तीय और तकनीकी सहायता प्राप्त करते हुए वैश्विक और घरेलू सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करना है। चरण-1 में 100 विकासशील कृषि ज़िलों को कवर किया जाएगा, जिससे सतत ग्रामीण विकास के लिए केंद्रित हस्तक्षेप सुनिश्चित होगा।

दालों में आत्मनिर्भरता

भारत ने दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि बढ़ती आय और खपत में वृद्धि के कारण स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से सरकार ने दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन शुरू किया है, जिसमें तूर, उड़द और मसूर जैसी प्रमुख किस्मों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

मिशन के उद्देश्य

- उपज बढ़ाने और बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए जलवायु-लचीले बीज किस्मों का विकास।

- दालों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना है ताकि उनका पोषण मूल्य बढ़े और आहार संबंधी ज़रूरतें पूरी हों।
- वैज्ञानिक खेती तकनीकों के माध्यम से उत्पादकता में सुधार और दाल किसानों के लिए बेहतर समर्थन।
- खराब होने से बचाने और गुणवत्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कटाई के बाद भंडारण और प्रबंधन को मज़बूत करना।
- नैफेड और एनसीसीएफ जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा खरीद के माध्यम से किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना।

इस मिशन का एक अनूठा पहलू यह है कि केंद्रीय एजेंसियों ने अगले चार वर्षों में इन तीन दालों की असीमित मात्रा में खरीद करने की प्रतिबद्धता जताई है, बशर्ते किसान इन एजेंसियों के साथ पंजीकरण और समझौते करें। इस उपाय का उद्देश्य किसानों का आत्मविश्वास बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना और मूल्य स्थिरता बनाए रखना है।

सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम

पोषण और स्वास्थ्य के प्रति खान-पान की आदतों के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ सब्जियों, फलों और श्रीअन्न (बाजरा) की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। खपत के पैटर्न में इस बदलाव को पहचानते हुए, सरकार ने किसानों के लिए उत्पादन, कुशल आपूर्ति शृंखला, प्रसंस्करण और उचित मूल्य निर्धारण को बढ़ावा देने के लिए सब्जियों और फलों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम प्रस्तावित किया है।

इस पहल के प्रमुख तत्व

- आधुनिक कृषि तकनीकों, ग्रीनहाउस खेती और ऊर्ध्वाधर बागवानी के लिए समर्थन के माध्यम से उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाना।
- कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और खराब होने वाले सामानों की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए कुशल आपूर्ति शृंखलाओं की स्थापना करना।
- ताजा उपज के मूल्य संवर्धन और शेल्फ-लाइफ को बढ़ाने के लिए प्रसंस्करण इकाइयों को मज़बूत करना।
- संस्थागत तंत्र स्थापित करना जिसमें किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और सहकारी समितियां शामिल हों, किसानों के लिए सामूहिक सौदेबाज़ी की शक्ति सुनिश्चित करना।
- दीर्घकालिक पर्यावरणीय लाभों के लिए जैविक खेती और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना।

इस पहल से छोटे और सीमांत किसानों को उनकी बाजार पहुँच में सुधार और स्थिर आय में वृद्धि करके महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है।

ग्रामीण क्रेडिट स्कोरः वित्तीय समावेशन को बढ़ाना

ग्रामीण समुदायों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, भूमिहीन मजदूरों और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए संस्थागत ऋण तक पहुँच एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस अंतर को पाटने के लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ग्रामीण क्रेडिट स्कोर ढांचे के विकास का प्रस्ताव दिया है।

ढांचे का उद्देश्य

- वित्तीय व्यवहार, पुनर्भुगतान इतिहास और आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी के आधार पर ग्रामीण उधारकर्ताओं की ऋण योग्यता का आकलन करना।
- स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, किसानों और अन्य ग्रामीण उद्यमियों के लिए औपचारिक ऋण तक आसान पहुँच प्रदान करना।
- यह सुनिश्चित करके वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना कि ग्रामीण आबादी कम ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त कर सके।
- अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भरता कम करना, जो अक्सर उच्च ब्याज दरों पर उधारकर्ताओं का शोषण करते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण मूल्यांकन तंत्र को औपचारिक बनाकर, यह पहल किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा और निवेश के अवसरों से सशक्त बनाएगी।

- **बिहार में मखाना बोर्डः** मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी।
- **उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशनः** उच्च उपज वाले बीजों पर एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाएगा जिसका उद्देश्य अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करना, उच्च उपज वाले बीजों का लक्षित विकास और प्रसार और 100 से अधिक बीज किस्मों की व्यावसायिक उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0: भारत में पोषण सहायता और स्वास्थ्य सेवा को मज़बूत करना

केंद्रीय बजट 2025-26 में स्वास्थ्य सेवा और पोषण सहायता को, खासकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों जैसे कमज़ोर समूहों के लिए, मज़बूत करने पर महत्वपूर्ण ज़ोर दिया गया है। बजट में 21,960 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई धनराशि आवंटित की गई है, जिससे सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत पोषण संबंधी योजनाओं के लिए बढ़ी हुई लागत 8 करोड़ से अधिक बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं और आकांक्षी ज़िलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 20 लाख किशोर लड़कियों को लाभ होगा। यह पहल एक एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से स्वास्थ्य परिणामों में सुधार और कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की आधारशिला है।

मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य

- **बढ़ी हुई लागत मानदंडः** सरकार ने मुद्रास्फीति और बढ़ती खाद्य लागतों को समायोजित करने के लिए पोषण सहायता के लिए लागत मानदंडों को संशोधित करने की आवश्यकता को पहचाना है।
- **लक्षित पोषण सहायताः** यह कार्यक्रम कमज़ोर समूहों को प्रत्यक्ष पोषण सहायता प्रदान करता है, जिससे फोर्टिफाइड भोजन और आवश्यक पोषक तत्वों तक पहुँच सुनिश्चित होती है।
- **अन्य स्वास्थ्य पहलों के साथ समावेशनः** व्यापक स्वास्थ्य सेवा सहायता प्रदान करने के लिए मातृ और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों के साथ समन्वय।
- **आकांक्षी ज़िलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर ध्यानः** कुपोषण के उच्च प्रसार वाले अविकसित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान।
- **प्रौद्योगिकी और निगरानीः** खाद्य वितरण और सेवा वितरण में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल उपकरणों और वास्तविक समय ट्रैकिंग का उपयोग।

कवरेज का विस्तार करके और पोषण सहायता की गुणवत्ता में सुधार कर कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों में बौनेपन, दुर्बलता और एनीमिया को महत्वपूर्ण रूप से कम करना है, जिससे भारत के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और उत्पादकता में योगदान हो सके।

मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण सेवाएं और बाल कल्याण सेवाएं) के लिए 2025-26 का बजट आवंटन बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये और मिशन शक्ति (महिलाओं के संरक्षण और सशक्तीकरण मिशन) के लिए 3150 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

संक्षेप में, केंद्रीय बजट 2025-26 भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को अधिक वित्त पोषण और रणनीतिक पहलों के माध्यम से मज़बूत करने के लिए एक दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा हुआ आवंटन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। प्रमुख उपाय, जैसे कि पाँच वर्षों में 75,000 और इस वर्ष 10,000 नई सीटें जोड़कर चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करना, ज़िला अस्पतालों में 200 डे-केयर कैंसर केंद्र स्थापित करना और सुव्यवस्थित वीज़ा प्रक्रियाओं और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देना, देखभाल की पहुँच, सामर्थ्य और गुणवत्ता को बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं। इसके अतिरिक्त, 36 जीवनरक्षक दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट देने से रोगियों के लिए आवश्यक दवाएं अधिक सस्ती हो जाएंगी।

कुल मिलाकर, बजट देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए एक आशाजनक प्रक्षेपवक्र निर्धारित करता है, जो बुनियादी ढाँचे के विकास, कार्यबल विस्तार और वैश्विक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करता है। ❑

डिजिटल शिक्षा के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

*जे पी पांडे
**राजा पंडित

"आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) या कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारी राजनीति, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सुरक्षा और यहाँ तक कि हमारे समाज को नया आकार दे रहा है। एआई इस सदी में मानवता के लिए कोड लिख रही है एआई स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और भी बहुत कुछ बेहतर करके लाखों लोगों का जीवन बदलने में मदद कर सकती है"। पेरिस में एआई एक्शन समिट के उद्घाटन भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द आधुनिक दुनिया में एआई के उपयोग की आवश्यकता, क्षमता और संभावना को स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों से भिन्न, एआई शिक्षा में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रतिमान बदलाव लाएगी।

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव लायी है। इससे शैक्षिक नीति में एक परिवर्तनकारी मोड़ आया है और मौजूदा शिक्षा प्रणाली को नया रूप देने के लिए भारत में भविष्य की शिक्षा के लिए रूपरेखा प्रदान की गई है। एनईपी 2020 का उद्देश्य सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना, पहुँच, समानता और गुणवत्ता के महत्व पर जोर देना और एक ज्ञान समाज का निर्माण करना है। एनईपी 2020 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच प्रदान करके तथा ग्रामीण और शहरी शिक्षा के बीच के अंतर को कम करके ग्रामीण शिक्षा में सुधार करने की भी आकांक्षा रखती है। बचपन की प्रारंभिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और प्रौद्योगिकी समावेशन पर नीति केंद्रित हैं। यह एक समग्र दृष्टिकोण के साथ शैक्षिक

* जे पी पांडे एक आईआरपीएस अधिकारी हैं। ईमेलः jppandeyirps@gmail.com
** राजा पंडित शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में सलाहकार हैं।

परिदृश्य को बदलने के लिए एक समावेशी दृष्टि का चित्रण करता है।

एनईपी 2020 में प्रौद्योगिकी का समावेशन

शिक्षण और सीखने में प्रौद्योगिकी के व्यापक और न्यायसंगत उपयोग को सुनिश्चित करना, भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करना, ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा, दिव्यांग छात्रों के लिए पहुँच बढ़ाना और शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन एनईपी 2020 की प्रमुख पहल हैं। एनईपी 2020 में 8 स्थानों पर "कृत्रिम बुद्धिमत्ता" का उल्लेख शिक्षा में एआई के महत्व को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है।

शिक्षा में एआई उपकरणों को एकीकृत करना नए शैक्षिक सुधारों में से एक है। शिक्षा की दो ज़िम्मेदारियां हैं, एक हमारे छात्रों को एआई को एक विषय के रूप में सीखने के लिए तैयार करना, एआई के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना और दूसरी ओर, एआई का उपयोग इसके अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करना है। यह उपकरण छात्रों को उनके कौशल विकास और आधुनिक रोज़गार बाज़ार के लिए तैयार करता है। एआई की अवधारणा शिक्षा में एक परिवर्तनकारी शक्ति है। इसका एकमात्र उद्देश्य शिक्षा प्रणाली का समग्र सुधार है जो एनईपी की आधारशिला है और इसमें शिक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की भूमिका और इसके अनुप्रयोगों जैसे ई-लर्निंग, ऑनलाइन संसाधनों और डिजिटल उपकरणों के उपयोग पर बहुत गंभीरता से ध्यान दिया गया है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता

"आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस" शब्द का प्रयोग 1956 में पहली बार डार्टमाउथ कॉलेज के प्रोफेसर जॉन मैकार्थी ने किया था। इनका उद्देश्य तर्क करने और मानव भाषा का उपयोग करने में सक्षम मशीनें बनाना था। लगभग 3 दशकों तक एआई में अनुसंधान धीमा रहा, लेकिन कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के विकास, मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क में प्रगति के तुरंत बाद, 1990 के दशक में पुनरुत्थान देखा गया। 2022 में चैट जीपीटी का आविष्कार एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ जिसने भाषा को समझने और बनाने में अभूतपूर्व क्षमता का प्रदर्शन किया। हाल में डीपसीक की रिलीज़ ने एआई की प्रगति को और बढ़ावा दिया है।

आज एआई स्वास्थ्य सेवा, वित्त आदि जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इसमें शिक्षण तथा सीखने की प्रथाओं में नवाचार के साथ शिक्षा क्षेत्र में क्रांति लाने और एसडीजी 4 की दिशा में प्रगति को गति देने की क्षमता है। भारत इस नए युग की तकनीक के लाभों को प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर तैयार हो चुका है। 16 जुलाई, 2024 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस का जश्न पूरे देश में एआई

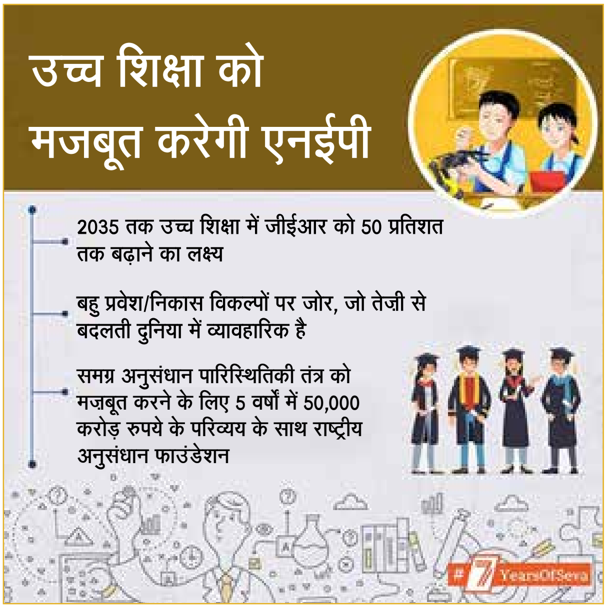

के परिवर्तनकारी प्रभाव को प्रतिबिंबित करने का महत्वपूर्ण क्षण था।

आज के तेजी से विकसित हो रहे शैक्षिक परिदृश्य में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सीखने के भविष्य को आकार देने में तेज़ी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। व्यक्तिगत निर्देश से लेकर स्वचालित प्रशासनिक कार्यों तक, एआई संचालित उपकरण पूरे देश में शिक्षाविदों को बदल रहे हैं। आधुनिक शिक्षा में प्रौद्योगिकी और एआई के महत्व को शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में क्रांति लाने, छात्रों को व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करने, प्रशासनिक कार्यों में शिक्षकों की सहायता करने और शिक्षार्थियों को तकनीक-संचालित करियर पथों से परिचित कराने की क्षमता है। शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए सावधानीपूर्वक योजना, बुनियादी ढांचे के विकास और निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह एनईपी 2020 में उल्लिखित लक्ष्यों और सिद्धांतों के अनुरूप है।

भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता

"एआई का भविष्य पहले से तय नहीं है – यह एक ऐसा भविष्य है जिसे बनाने में हम सब का हाथ है।"

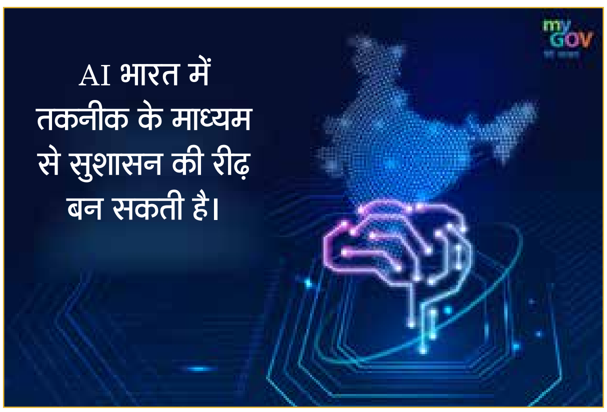

नीति आयोग ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए राष्ट्रीय रणनीति पर अपने परिचर्चा पत्र में, सामाजिक और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए "सभी के लिए एआई" पर ध्यान केंद्रित किया है। इस पत्र में शिक्षा को भारत में एआई के फोकस के मुख्य क्षेत्रों में से एक के रूप में उजागर किया गया है।

सभी के लिए एआई और राष्ट्रीय एआई रणनीति जैसी सरकारी पहल सामाजिक लाभ के लिए एआई का उपयोग करने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है और नैतिक निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट भारतीय चुनौतियों का समाधान करने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने की इसकी क्षमता को दर्शाती है जो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करता है और सभी नागरिकों को लाभान्वित करता है।

15 जुलाई, 2023 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने भारत के लिए एआई 2.0 पहल की शुरुआत की, जो शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर मुफ्त ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करता है और इसका उद्देश्य युवाओं को भविष्य के नौकरी बाज़ारों के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक एआई कौशल से लैस करना है। यह कई भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम प्रदान करके छात्रों को प्रौद्योगिकी शिक्षा में भाषा की बाधाओं को तोड़ने में सहायता करता है।

भारत में अन्य प्रमुख पहलों में स्किल इंडिया एआई पोर्टल शामिल है, जोकि एक ऑनलाइन प्लेटफार्म है और तकनीकी फर्मों तथा शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से एआई पाठ्यक्रम, ट्यूटोरियल और प्रमाणपत्र प्रदान करता है। राष्ट्रीय एआई कौशल कार्यक्रम उद्योग के अग्रजों के साथ अनुकूल प्रशिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से एआई कौशल को बढ़ाने में मदद करता है, जिसमें मशीन लर्निंग, डेटा विज्ञान और एआई नैतिकता शामिल हैं।

पाठ्यक्रम में एआई

एनईपी 2020 पाठ्यक्रम में आवश्यक विषयों, कौशल और क्षमताओं के समावेशन पर केंद्रित है। छात्रों में विभिन्न महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने के लिए प्रासंगिक चरणों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिज़ाइन थिंकिंग, समग्र स्वास्थ्य, जैविक जीवन, पर्यावरण शिक्षा, वैश्विक नागरिकता शिक्षा (जीसीईडी) आदि जैसे समकालीन विषयों की शुरुआत के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली दोनों में समेकित पाठ्यक्रम और शैक्षणिक पहल अपनाई जा रही हैं।

इसके अलावा, स्टेम शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने से सभी विषयों में 'स्टेम-सम्मिलित' पाठ्यक्रम और अवधारणाएं बनाने की कल्पना की गई है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के बीच की बाधाओं को तोड़ना और दुनिया की व्यापक समझ को प्रोत्साहित करना है। इसी तरह, 'रोबोटिक्स' छात्रों को अपने स्टेम ज्ञान को व्यावहारिक तरीके से लागू करने के लिए एक गतिशील और आकर्षक मंच प्रदान करता है। रोबोटों को डिज़ाइन करने, उनके निर्माण और स्टेम प्रोग्रामिंग द्वारा छात्रों की समस्याओं को सुलझाने, टीम वर्क (मिलजुल कर काम करने) और आलोचनात्मक सोच पर मूल्यवान व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होता है। सीखने संबंधी यह व्यावहारिक दृष्टिकोण छात्रों को भविष्य के कार्यबल हेतु तैयार करने के लिए आवश्यक है, इसमें अनुकूलन क्षमता, नवाचार और तकनीकी साक्षरता अत्यंत मूल्यवान कौशल माना जाता है। ये पहल वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ाकर एआई में छात्रों की रुचि को बढ़ावा देगी। शिक्षा मंत्रालय अपनी प्रमुख योजना समग्र शिक्षा योजना और पीएम श्री योजना के माध्यम से पूरे देश में इन पहलों का समर्थन करता है।

शिक्षा में एआई का उपयोग

भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक है, जिसमें 14.72 लाख स्कूलों में लगभग 25 करोड़ छात्र हैं तथा लगभग 98 लाख शिक्षक हैं। अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, शिक्षकों में योग्यता एवं प्रेरणा की कमी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की मांग, हमारी शिक्षा प्रणाली के लिए निरंतर चुनौतियाँ हैं। एआई इसमें विभिन्न तरीकों से सहायता कर सकता है।

पढ़ाने और सीखने की प्रक्रिया

एआई-संचालित व्यावसायिक विकास उपकरण संसाधनों का पता लगाने और उन्हें शिक्षकों की ज़रूरतों एवं रुचियों के अनुसार ढालने में मदद करते हैं, जिससे निरंतर व्यावसायिक

विकास को बढ़ावा मिलता है। ऐसे कई कक्षा प्रबंधन उपकरण हैं जो मूल्यवान जानकारी देते हुए शिक्षकों को छात्रों से जुड़ाव की निगरानी करने में मदद कर सकते हैं। छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के अलावा, एआई शिक्षकों के लिए प्रशासनिक कार्यों को भी सुव्यवस्थित कर सकता है। एआई व्यक्तिगत छात्र आवश्यकताओं के अनुसार सामग्री और गति को अपना कर सीखने को निजीकृत कर सकता है। यह व्यक्तिगत दृष्टिकोण विविध शिक्षण शैलियों और गति को संबोधित करने में मदद करता है और सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक छात्र को सफल होने के लिए आवश्यक ध्यान और संसाधन मिल रहा है। एआई-संचालित उपकरण व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए विशाल मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं।

एआई-संचालित चैटबॉट छात्रों और अभिभावकों को सामान्य प्रश्नों के उत्तर देते हुए और प्रासंगिक संसाधनों तक निर्देशित करते हुए 24/7 सहायता प्रदान कर सकते हैं। इन समय लेने वाले कार्यों को स्वचालित करके, दीक्षा जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर एआई का बेहतर उपयोग किया जा सकता है ताकि छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार सभी संबंधित सामग्री प्रदान की जा सके। दीक्षा पोर्टल पर चैटबॉट 'तारा' शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं में मदद करने के लिए दृश्य, श्रव्य सामग्री के रूप में विभिन्न संसाधनों का एक समृद्ध भंडार प्रदान करके शिक्षकों, शिक्षार्थियों और शिक्षाविदों से आत्मसात को बढ़ावा दे सकती है। यह शिक्षकों को पाठ योजना और एक पर एक कोचिंग जैसी उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों के लिए अधिक ऊर्जा समर्पित करने की अनुमति देता है। ऐसे अन्य एआई-संचालित चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में निरंतर सहायता प्रदान कर रहे हैं। एआई प्रशासित भाषा शिक्षण और अनुवाद उपकरण भाषा सीखने की बाधाओं को दूर करने में बहुत मदद कर रहे हैं। यह भारत की शिक्षा प्रणाली में भाषायी विविधता को संबोधित करने के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं के अनुप्रयोग के लिए एक वरदान हैं।

ग्रेडिंग और मूल्यांकन

एआई संचालित ग्रेडिंग सिस्टम बड़े पैमाने पर मूल्यांकन को संभाल सकते हैं, जिससे शिक्षकों को शिक्षण के अधिक इंटरैक्टिव और व्यक्तिगत पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्रता मिलती है। यह रटने के बजाय आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा देने पर ज़ोर देने के एनईपी के लक्ष्य के अनुरूप है।

एआई-सहायता प्राप्त तकनीकों के साथ स्वचालित निर्माणात्मक मूल्यांकन छात्र लेखन, समझ या अन्य छात्र आउटपुट पर कार्रवाई योग्य प्रतिक्रिया प्रदान कर सकता है। लंबे समय में, एआई छात्रों के होमवर्क और मूल्यांकन को स्वचालित करके शिक्षकों का समय और प्रयास बचा सकता है। एआई उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और विश्लेषण में सहायता कर सकता है। यह छात्रों के उन्मुखीकरण, पसंद, वरीयताओं का भी विश्लेषण कर सकता है और तदानुसार जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए संसाधन साबित कर सकता है।

कक्षा की निगरानी

एआई प्रभावी शिक्षण प्रथाओं के लिए कक्षा की गतिविधियों की निगरानी और प्रबंधन करने में शिक्षकों की सहायता कर सकता है। इससे कीमती समय और ऊर्जा की बचत होगी। एआई-सहायता प्राप्त सिस्टम का उपयोग कक्षा-आधारित छात्र निगरानी के लिए किया जा सकता है। एआई-सहायता प्राप्त वीडियो एप्लिकेशन में प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने की क्षमता है। एआई का सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि यह पूर्वाग्रहों से मुक्त है और प्रत्येक छात्र के लिए निर्देशित चार्टेड समाधान प्रदान कर सकता है। जनरेटिव एआई के आगमन के साथ चेहरे को पहचानना और साथ ही यह टेक्स्ट, इमेज और ऑडियो/वीडियो जैसी नई सामग्री बना सकता है और गहन तरीकों से विकसित हो सकता है।

शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षित माहौल बनाए रखने के लिए 'फेस रिकग्निशन', उपयोग विश्लेषण और चोरी का पता लगाने जैसे उपाय नितांत आवश्यक हैं। इससे परीक्षा की अखंडता बढ़ाने में मदद मिलेगी। परीक्षा में गोपनीयता और निष्पक्षता की आवश्यकता है। एआई द्वारा इसकी पवित्रता में संतुलन बनाए रखा जा सकता है।

विकलांग शिक्षार्थियों की सहायता

श्रवण बाधित छात्रों के लिए स्पीच-टू-टेक्स्ट एप्लिकेशन और दृष्टिबाधित छात्रों के लिए टेक्स्ट-टू-स्पीच जैसी एआई संचालित सहायक प्रौद्योगिकियाँ, साथ ही वास्तविक समय की भाषा अनुवाद सेवाएं विविध छात्रों के लिए शिक्षा को अधिक सुलभ बना सकती हैं। 'प्रशस्त' जैसे ऐप संभावित विकलांगताओं के लिए छात्रों की शुरुआती जांच की सुविधा प्रदान करते हैं। एआई इस प्रक्रिया को अधिक कुशल और प्रभावी बना सकता

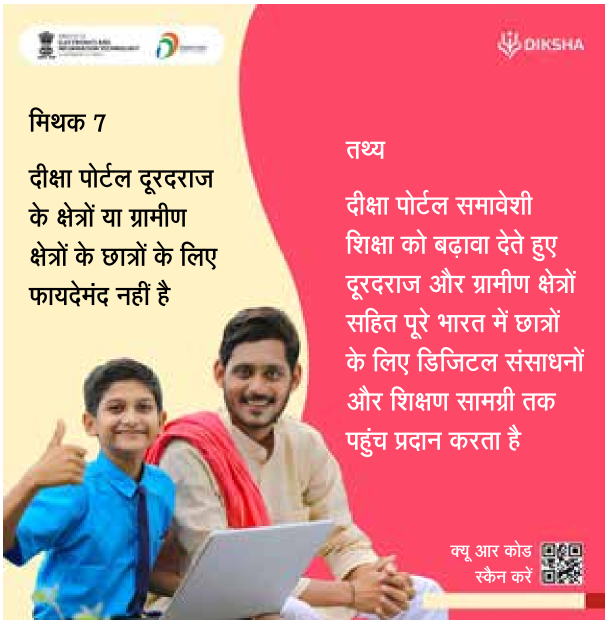

है। यह एनईपी 2020 और एसडीजी-4 के समान एवं समावेशी शिक्षा के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक प्रमुख कदम है।

शैक्षिक प्रशासन में सुधार

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की 'विद्या समीक्षा केंद्र' के रूप में हाल ही में की गई पहल ने शैक्षिक प्रशासन को एक नया आयाम प्रदान किया है। डेटा को प्रभावी ढंग से एकत्र करने, निगरानी करने, सहसंबंधित करने और विश्लेषण करने की क्षमता योजनाओं को लागू करने के लिए समय पर कार्रवाई करने में मदद करेगी। शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न पहल जैसे कि UDISE, स्टूडेंट डेटाबेस, NAS, निपुण भारत, टीचर डेटाबेस, दीक्षा आदि साइलो में काम करने वाली कुशल प्रणालियाँ हैं। विभिन्न डेटा सेटों को एकीकृत करने और साइलो में संचालन की बाधा को तोड़ने से हमें एक सामान्य लक्ष्य की दिशा में विभिन्न संस्थाओं से प्रभावी ढंग से लाभ उठाने में मदद मिलेगी। एआई विभिन्न डेटा सेटों को सहसंबंधित कर सकता है, बड़े डेटा विश्लेषण और मशीन लर्निंग का उपयोग करके उनका सार्थक विश्लेषण कर सकता है और शिक्षा प्रणाली की समग्र निगरानी को बढ़ाने तथा इस तरह सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रभावी निर्णय लेने हेतु अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है।

एआई संचालित विद्या समीक्षा केंद्र छात्र नामांकन और ड्रॉपआउट, छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति, उनके सीखने के स्तर में प्रगति, स्कूल से बाहर के बच्चों को मुख्यधारा में लाने, पाठ्यपुस्तक वितरण, समग्र शिक्षा के दायरे में विभिन्न परियोजनाओं/गतिविधियों की वास्तविक समय की स्थिति की निगरानी, राज्य स्तर पर क्षेत्र स्तर की शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी और ट्रैकिंग, छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार, स्कूलों में शिक्षकों की जवाबदेही बढ़ाने, उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने और साथ ही डेटा आधारित निर्णय प्रभावी ढंग से लेने के लिए क्षेत्र में प्रशासकों और शिक्षकों को सशक्त बनाने में सहायता करेगा।

केंद्रीय बजट 2025-26 की एआई महत्वाकांक्षाएं

केंद्रीय बजट 2025-26 में एआई महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया और शिक्षा पर एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। शिक्षा के लिए एआई उत्कृष्टता केंद्र शिक्षकों और शिक्षार्थियों दोनों के लिए एआई को एकीकृत करने का एक मज़बूत माध्यम साबित हो सकते हैं। इससे सीखने की प्रक्रिया के प्रति रूझान पैदा होगा और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलेगी जिससे रोज़गार क्षमता भी बढ़ेगी।

शिक्षा में सुधार के लिए डेटा विश्लेषण की बहुत आवश्यकता है। एआई वर्चुअल रियलिटी (वीआर) और ऑगमेंटेड रियलिटी (एआर) के माध्यम से इमर्सिव लर्निंग अनुभवों के निर्माण की सुविधा भी देता है। ये तकनीकें अमूर्त अवधारणाओं को जीवंत कर सकती हैं, जिससे सीखना अधिक आकर्षक और व्यावहारिक हो जाता है। ऐसे गहन अनुभव अनुभवात्मक शिक्षा और शिक्षा के प्रति समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हुए एनईपी के दृष्टिकोण के अनुरूप बन जाते हैं।

ग्रामीण भारत में शिक्षा के लिए एआई

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति अक्सर सीमित संसाधनों, शिक्षकों की कमी और व्यक्तिगत शिक्षा के लिए अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे सहित कई बाधाओं के कारण चुनौतीपूर्ण होती है, जो सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच एक महत्वपूर्ण शैक्षिक अंतर में योगदान करते हैं। एआई शिक्षकों का समर्थन करने से लेकर पहुँच बढ़ाने तक ग्रामीण छात्रों को सफलता के लिए तैयार कर सकता है।

एआई ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को अनुकूल पाठ योजनाएं और सीखने-सिखाने की सामग्री बनाने के लिए विशाल शैक्षिक सामग्री तक पहुँचने में सहायता प्रदान कर सकता है और सशक्त बना सकता है। यह शिक्षकों को अपने छात्रों को प्रेरित करने और उनका मार्गदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दे सकता है, जिससे ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुकूल अधिक गतिशील और उत्तरदायी शैक्षिक वातावरण बन सकता है। एआई का एकीकरण भौगोलिक बाधाओं और संसाधन बाधाओं को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर अधिक समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा प्रणाली बनाने में सहायता कर सकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुसार क्षेत्रीय भाषाओं (या मातृभाषा, स्थानीय भाषा) का उपयोग जहां भी

संभव हो, शिक्षण के माध्यम के रूप में किया जाना चाहिए- कम से कम ग्रेड 5 तक और अधिमानतः ग्रेड 8 और उससे आगे तक- सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए।

एआई ने भाषा सीखने के लिए कई समाधान प्रदान किए हैं। एआई शैक्षिक सामग्री का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद भी कर सकता है, समावेशिता को बढ़ावा दे सकता है और यह सभी छात्रों की गुणवत्तापूर्ण संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित कर सकता है। एआई वर्चुअल कक्षाओं और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को बढ़ाकर अंतराल को भी पाट सकता है। ये प्लेटफ़ॉर्म ग्रामीण छात्रों को दुनिया भर के योग्य शिक्षकों से जोड़ते हैं, विशेष पाठ्यक्रम और विषय प्रदान करते हैं जो स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

एआई-संचालित ऑफ़लाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म अप्रत्याशित बिजली आपूर्ति और सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में भी शैक्षिक सामग्री प्रदान कर सकते हैं। ये प्लेटफ़ॉर्म डेटा का तालमेल बनाए रखने के लिए इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध होने पर अपडेट करते हैं, जिससे निर्बाध शिक्षा सुनिश्चित होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर शिक्षा प्रसार के लिए यह अनुकूलनशीलता महत्वपूर्ण है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं जैसी व्यापक शैक्षिक सुविधाओं का अभाव होता है। एआई स्मार्टफ़ोन और अन्य उपकरणों के माध्यम से सुलभ डिजिटल संसाधन प्रदान करके इस पर काबू पाने में मदद कर सकता है। एआई-संचालित शैक्षिक ऐप वीडियो, सिमुलेशन और क्विज़ सहित इंटरैक्टिव सामग्री प्रदान करते हैं, जो सीखने की प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं। संसाधनों का यह न्यायसंगत वितरण ग्रामीण और शहरी छात्रों के बीच शैक्षिक असमानता को काफी हद तक कम कर सकता है, यह सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण छात्रों की उनके शहरी साथियों के समान अवसरों और व्यक्तिगत सीखने के अनुभवों तक पहुँच हो, जिससे लोकतांत्रिक तरीके से सीखने के अनुभवों का लाभ उठाया जा सके।

चुनौतियाँ

'गोपनीयता जोखिम' एक बड़ी चिंता है। कोई भी व्यक्ति इस बात को लेकर सावधान रहता है कि कौन-सा व्यक्तिगत डेटा एकत्र किया जाता है और उसका उपयोग कैसे किया जाता है। डेटा संग्रह, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रसार और आक्रमण से किसी व्यक्ति के निजी स्थान, विकल्पों या गतिविधियों में अतिक्रमण हो सकता है।

भारत में शिक्षक-छात्र संबंध सबसे पवित्र हैं। एआई पर अधिक निर्भरता शिक्षक-छात्र संबंधों को बाधित करने की क्षमता रखती है और सीखने के सामाजिक-भावनात्मक पहलुओं पर प्रभाव डाल सकती है। यदि शिक्षक-छात्र के बीच बातचीत गायब हो जाती है, तो छात्रों के सामाजिक कौशल और पारस्परिक विकास को नुकसान होगा। जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक बेहतरीन शिक्षण उपकरण हो सकता है, लेकिन शिक्षा में आलोचनात्मक सोच, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सामाजिक कौशल को बढ़ावा देने में वास्तविक जीवन के शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है। हालाँकि एआई शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ा सकता है, लेकिन शिक्षक अपने छात्रों और कक्षा में जो अद्वितीय गुण लाते हैं, वे उन्हें अपूरणीय बनाते हैं।

धोखाधड़ी और साहित्यिक चोरी भी बड़ी चुनौतियां हैं। AI का इस्तेमाल अनैतिक तरीके से असाइनमेंट या परीक्षा पूरी करने या पेपर लिखने के लिए किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि AI उतना ही अच्छा है जितना कि वह जिस एल्गोरिदम पर आधारित है। यदि यह जो डेटा खींचता है वह गलत या पक्षपाती है, तो यह जो जानकारी बनाता है वह भी गलत या पक्षपाती होगी। AI शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी हितधारकों को लाभान्वित करने के लिए AI का ज़िम्मेदार, जवाबदेह और नैतिक विकास सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

ग्रामीण स्कूलों में तकनीक तक पहुँच होने पर भी डिजिटल साक्षरता और प्रशिक्षण की कमी इसके प्रभावी उपयोग में बाधा बन सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई शिक्षकों और छात्रों में एआई को अपने सीखने की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान की कमी होती है।

आगे का रास्ता

एनईपी-2020 में एआई का उल्लेख भारत में अधिक समावेशी, कौशल-उन्मुख और कुशल शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने की दिशा में एक आदर्श कदम को दर्शाता है। चूंकि शिक्षा में एआई का उपयोग लगातार विकसित हो रहा है, इसलिए इसमें शिक्षा प्रणाली के सभी हितधारकों को बेहतर भविष्य के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान देने की पूरी क्षमता है।

संक्षेप में, तमाम विरोधाभासों के बावजूद, शिक्षा में एआई हर बच्चे को, उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, उनकी पूरी क्षमता तक पहुँचने में सहायता कर सकता है। डिजिटल डिवाइड, शहरी-ग्रामीण अंतर को पाटने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभों को प्राप्त करने के लिए, ब्रॉडबैंड एक्सेस, हाईस्पीड इंटरनेट, किफायती तकनीकी समाधानों में निवेश, ओपनसोर्स सॉफ्टवेयर, क्लाउड-आधारित प्लेटफ़ॉर्म और प्रभावी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी स्तरों पर बड़े पैमाने पर प्रदान किए जाने चाहिए। सभी लाभों के साथ एआई 2047 तक 'विकसित भारत' के उद्देश्यों को साकार करने के लिए 'सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा' सुनिश्चित कर सकता है। ❑

महिला सशक्तीकरण से होगा 'सशक्त' भारत का निर्माण

*डॉ ऋतु सारस्वत

युवा और महिलाएं भारत का भविष्य हैं और यह केंद्रीय बजट में उनके सशक्तीकरण हेतु दी गई बजटीय राशि से भी परिलक्षित होता है। परंतु एक सबसे बड़ी चुनौती विभिन्न योजनाओं के समयावधि पर क्रियान्वयन की है। विभागीय स्तर पर योजनाओं को लेकर तत्परता और निष्ठा पर ही योजनाओं की सफलता निर्भर है।

भारत की आर्थिक विकास रणनीति अपने सभी नागरिकों के लिए समावेशिता और कल्याण पर बल देती है। विगत वर्षों में भारत ने उच्च और सतत आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ सामाजिक और संस्थागत प्रगति की है जो सशक्तीकरण के साथ सरकारी नीतियों, बजटीय प्रावधानों और उनके कार्यान्वयन के प्रतिफल के रूप में दृष्टिगोचर होती है।

आर्थिक और सामाजिक विकास का चक्र सतत और निर्बाध बना रहे, इसके लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से भारत सरकार का केंद्रीय बजट देश के समावेशी विकास की रूपरेखा को दृष्टिगत रखते हुए गढ़ा जाता है। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर. के. शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर, 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। 1947 से लेकर आज तक का केंद्रीय बजट प्रत्येक वर्ष भारत के विकास का खाका खींचता आ रहा है। 1 फरवरी, 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजटीय भाषण में देश के सार्थक विकास हेतु ठोस, प्रभावी, समग्र और व्यापक नीतियों की अपरिहार्यता पर ज़ोर दिया और महिला सशक्तीकरण के लिए विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख किया और इसके लिए

*एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र), उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार। ईमेलः **saraswatritu@yahoo.co.in**

महिला सशक्तीकरण

केंद्रीय बजट 2025-26 में महिलाओं और लड़कियों के कल्याण के लिए 4.49 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 37.25 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि है

'महिलान्मुखी बजट' जिसे आमतौर पर 'जेंडर बजट' कहा जाता है, के लिए कुल केंद्रीय बजट के पूर्व वित्त वर्ष 2024-25 के 6.8 प्रतिशत के प्रावधान को बढ़ाकर 8.86 प्रतिशत कर दिया है। वित्त वर्ष 2025-26 में 'जेंडर बजट' वितरण में महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए 4.49 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह वित्त वर्ष 2024-25 की जेबीएस (ग्रॉसबजेटरी सपोर्ट) 3.27 लाख करोड़ रुपये से 37.25 प्रतिशत अधिक है।

लैंगिक समानता को स्थापित करने में 'जेंडर बजट' की भूमिका के महत्व को दुनिया भर में स्वीकार किया गया है। 'जेंडर बजट' से तात्पर्य एक ऐसे बजट से है जिसके माध्यम से समाज में स्त्री-पुरुष के मध्य उपस्थित लैंगिक असमानता के कारकों को समझ कर ऐसी नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वन हेतु धनराशि आवंटित की जाती है जिससे लैंगिक असमानता के कारकों में परिवर्तन लाकर समानता को स्थापित किया जा सके।

'जेंडर बजटिंग' एक लेखांकन कार्य नहीं है बल्कि एक सतत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि विकास के लाभ पुरुषों के बराबर महिलाओं को भी प्राप्त हों। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह कोई अलग बजट नहीं है और न ही इसका संबंध महिलाओं और पुरुषों पर समान व्यय से संबंधित है अपितु यह उन कार्यकलापों से जुड़ा है जहां पर्याप्त संसाधनों के आवंटन तथा महिला संवेदी कार्यक्रमों के निर्माण एवं कार्यान्वयन के माध्यम से महिलाओं के प्रति नीतिगत प्रतिबद्धताओं और उनके लिए किए जाने वाले आवंटनों के बीच अंतर को समाप्त किया जा सके।

भारत में 2005-06 से महिला संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु पद्धति के रूप में आरंभ हुआ 'जेंडर बजट' एक माध्यम के रूप में अपनी सार्थकता सिद्ध कर रहा है। वित्त वर्ष 2005-06 में 9 मंत्रालय/ विभागों तथा कुल बजट के 2.79 प्रतिशत से आरंभ हुआ 'जेंडर बजट' 2025-26 में कुल 49 मंत्रालय एवं विभागों और पांच केंद्रशासित प्रदेशों तक विस्तार पा चुका है जो कि महिलान्मुखी बजट की देश के समावेशी विकास में अपनी सार्थकता और सफलता का प्रमाण है।

भारत अपने अथक प्रयासों से स्वयं को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में सम्मिलित करने की ओर सुदृढ़ता से कदम रख रहा है और अपने इस वृहद् दृष्टिकोण को साकार करने के लिए वह देश की आधी आबादी को साथ लेकर चलने के हर संभव प्रयास करने को तत्पर दिखाई देता है।

विगत वर्षों में सरकारी पहलों में महिला केंद्रित तत्व बढ़ रहा है जो विस्तारित 'जेंडर बजट' से स्पष्ट है। वित्त वर्ष 2014 में सरकार ने महिलाओं के कल्याण और सशक्तीकरण के लिए योजनाओं हेतु 97.134 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था जो पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ता रहा है और वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर रुपये 4.49 लाख करोड़ हो गया है।

महिलाओं के नेतृत्व में विकास बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा को सुनिश्चित करने से आरंभ होता है। स्वतंत्रता के पश्चात् से ही महिलाओं का स्वास्थ्य केंद्रीय नीतियों में प्रमुखता से रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा महिलान्मुखी बजट के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में आवंटित बजट राशि 37,005.98 करोड़ रुपये को बढ़ाकर वित्त वर्ष 2025-26 में 39,436.43 करोड़ रुपये किया गया है। वहीं स्कूल शिक्षा और

मुख्य अंश

जेंडर बजट 2025-26

- लिंग बजट आवंटन कुल केंद्रीय बजट का 8.86 हो गया है
- महिलाओं और बालिकाओं के लिए 24.49 लाख करोड़ रुपये आवंटित
- 49 मंत्रालयों/विभागों और 5 केंद्र शाशित प्रदेशों को महिला कल्याण, शिक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए आवंटन
- सरकार पहली बार उद्यम करने वाली 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए 2 करोड़ रुपये का टर्म लोन शुरू करेगी

सशक्त महिला
सशक्त भारत

केंद्रीय बजट 2025-26 भारत में महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है

साक्षरता विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा क्रमशः वित्त वर्ष 2025-26 में 26,458.18 करोड़ रुपये तथा 16,995.21 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

हाल ही में विश्व आर्थिक मंच और मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट की शोध रिपोर्ट 'ब्लूप्रिंट टू क्लोज़ द वूमेन हेल्थ गैपः हाउ टू इम्प्रूव लाइफ एंड इकोनॉमीज़ फॉर ऑल' उद्घाटित करती है कि पुरुष की तुलना में महिलाएं अपने जीवन का 25 प्रतिशत हिस्सा खराब स्वास्थ्य में बिता रही हैं और अगर उनके स्वास्थ्य में सुधार किया जाए तो 2040 तक दुनिया भर की जीडीपी में सालाना 34.50 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी संभव है। निश्चित ही, सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए स्वास्थ्य में निवेश एक अनिवार्य शर्त है और बात जब महिलाओं के स्वास्थ्य की हो तो हमारी सामाजिक एवं सांस्कृतिक रुढ़ियां उनके स्वास्थ्य को दोयम दर्जा देती रही हैं जिसका एक कारण अधिकांशतः महिलाओं को 'उत्पादक श्रेणी' में स्वीकार नहीं किया जाना है।

इस वास्तविकता को समझते हुए भारत सरकार उन तमाम प्रयासों को युद्ध स्तर पर विगत दशकों से कर रही है जिससे महिलाएं स्वस्थ जीवन जी सकें। स्वस्थ शरीर दो घटकों पर निर्भर है– पहला, पोषणयुक्त भोजन तथा दूसरा, बेहतर चिकित्सा सुविधा तक पहुँच। महिलाओं का स्वास्थ्य किसी भी समाज के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वह जननी के रूप में शिशु को जन्म देती हैं और स्वस्थ शिशु का जन्म गर्भावस्था में मिलने वाली स्वास्थ्य देखभाल और पोषण-युक्त भोजन पर निर्भर करता है।

'सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0' कार्यक्रम कुपोषण मुक्त भारत को प्राप्त करने के लिए जीवन चक्र दृष्टिकोण अपना कर गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, बच्चों और किशोरियों में कुपोषण को दूर करने का प्रयास करता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लिंग संवेदीकरण बजट के अंतर्गत केंद्रीय बजट 2025-26 में 'सक्षम आंगनवाड़ी तथा पोषण 2.0' हेतु 450.98 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है जो कि पिछले वित्त वर्ष से दोगुना है। वहीं 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (पीएमजीकेवाई) में वित्त वर्ष 2024-25 की प्रस्तावित राशि 94581.27 करोड़ रुपये को बढ़ाकर वर्तमान वित्त वर्ष में 107638.78 करोड़ रुपये किया गया है। वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार ने निःशुल्क और सब्सिडाइज्ड खाद्य राशन प्रदान करने के लिए पीएमजीकेवाई योजना पर अपने बजट का 6.5 प्रतिशत व्यय किया था।

महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने महिला एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल हेतु बाल पोषण और टीकाकरण के लिए वित्त पोषण में वृद्धि के साथ 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' के तहत मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रमों में विस्तार किया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पहले बच्चे के जन्म के समय रुपये 5000 का और दूसरे बच्चे के लिए रुपये 6000 का नगद भुगतान किया जाता है बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की हो। हैरने और क्लोज़र का अध्ययन 'लेसन्स लर्न्ड इंटेंडड एंड अनिन्टेन्डिड इफेक्ट ऑफ इंडियाज़ सेकंड-जनरेशन मैटरनल कैश ट्रांसफर स्कीम' मातृ वंदना योजना की सफलता को उल्लेखित करते हुए बताता है कि लोक स्वास्थ्य सेवाओं के दीर्घकालिक उपयोग में वृद्धि ने माता और बच्चों के जीवन पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डाला है।

मिशन सक्षम
आंगनवाड़ी तथा पोषण 2.0

आकांक्षी ज़िलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 करोड़ से अधिक बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 20 लाख किशोरियों के लिए सकारात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए 21,960 करोड़ रुपये आवंटित।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

- **इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के मकान बनाना है तथा यह सुनिश्चित करना है कि मकान का स्वामित्व महिलाओं के हाथ में हो।**
- **आईसीटी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमईआईसीटी) महिलाओं के लिए 100 प्रतिशत वित्त पोषण आवंटित करता है।**

सामाजिक क्षेत्र की नीतियां अंतर्सम्बन्धित हैं। उदाहरणतः विद्यालयी शिक्षा में सुधार की नीति स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य और पोषण सुरक्षा, परिवहन सुविधाओं तक पहुँच और घरेलू आय से संबंधित नीतियों के बिना बहुत प्रभावित नहीं हो सकती जो बच्चे को विद्यालयी शिक्षा में बनाए रखने में योगदान देने के महत्वपूर्ण कारक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। अध्ययन बताते हैं कि भारत की विद्यालयी शिक्षा प्रणाली 14.72 लाख विद्यालयों में 98 लाख शिक्षकों (यूडीआरएस ई+ 2023-24) के साथ 24.8 करोड़ विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करती है। वित्त वर्ष 2025-26 में लिंग बजट के मद में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार द्वारा 26458.18 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है वहीं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 16995.21 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

विद्यालयी शिक्षा की सफलता न केवल विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों से निश्चित होती है बल्कि उनके सामाजिक और भावनात्मक शिक्षण को बढ़ाने पर भी निर्भर करती है। यह निर्विवाद है कि संपूर्ण शिक्षा पद्धति बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, शैक्षणिक प्रदर्शन और जीवन कौशल को बढ़ाने वाले संसाधनों पर केंद्रित होती है। स्कूलों में बच्चों की भागीदारी बढ़ाना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है। इस चुनौती से निपटने में 'प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना' ने एक सफल भूमिका निभाई है। इस योजना के तहत 10.24 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बाल वाटिका और कक्षा एक से आठ तक पढ़ने वाले 11.70 करोड़ छात्रों को सभी स्कूली दिनों में एक बार पका हुआ भोजन परोसा जाता है। वित्त वर्ष 2025-26 में पीएम पोषण योजना हेतु 12375 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो कि पूर्व वित्त वर्ष की अपेक्षाकृत 1272 करोड़ रुपये अधिक हैं।

महिला सशक्तीकरण बहुआयामी घटकों को एक साथ लक्षित कर एकीकृत रूप में कार्य करता है। 'जल जीवन मिशन', 'प्रधानमंत्री आवास योजना', 'संबल' और 'समर्थ' योजनाएं महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु अभूतपूर्व कार्य कर रही हैं। जल जीवन मिशन हेतु वित्त वर्ष 2025-26 में 20476 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जो कि वित्त वर्ष 2024-25 में आवंटित की गई राशि से 9429.29 करोड़ रुपये अधिक हैं। जल जीवन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों तक सुरक्षित जल की उपलब्धता द्वारा दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अगस्त 2019 में जब यह योजना आरंभ की गई थी, तब 17 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध था और अब यह संख्या बढ़कर 15.30 करोड़ हो चुकी है यानी कि 79.1 प्रतिशत से अधिक लोगों को अब नल से जल प्राप्त हो रहा है। इस मिशन ने ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित और स्वच्छ जल की पहुँच में सुधार किया है विशेष कर आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसी जल गुणवत्ता समस्या से प्रभावित क्षेत्रों में इसके प्रभाव से बेहतर स्वास्थ्य परिणाम सामने आए हैं।

भारतीय स्टेट बैंक की हालिया शोध रिपोर्ट 'इंपैक्ट ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर अवेलेबिलिटी ऑन वुमैन लेबर फोर्स' बताती है कि देश भर में बाहरी परिसरों से पानी लाने वाले घरों में कुल मिलाकर 8.3 प्रतिशत अंकों की कमी आई है जिससे कृषि और संबद्ध गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी में 7.4 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है। बिहार और असम जैसे राज्यों ने असाधारण प्रगति का प्रदर्शन किया है, जहां महिला कार्यबल की भागीदारी में 28 प्रतिशत अंकों से अधिक की वृद्धि हुई है जो अपेक्षाकृत गरीब राज्यों में नल के पानी तक विश्वसनीय पहुँच की व्यापक उपलब्धियां को उजागर करता है। मिशन का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव व्यापक प्रवृत्तियों के अनुरूप है, 2017 और 2023 के बीच भारत में ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी 24.6 प्रतिशत से बढ़कर 41.5 प्रतिशत हो गई, जो महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से जेजेएम और पूरक सरकारी योजनाओं जैसी पहलों की सफलता को दर्शाती है।

देश की आधी आबादी के आत्मबल को सशक्त करने हेतु केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में आवंटित राशि 15170 करोड़ रुपये की अपेक्षाकृत वर्तमान वित्त वर्ष में बढ़ोतरी करते हुए 23294 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु पिछले वित्त वर्ष की आवंटित राशि में 22,332 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी करते हुए 54,832 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

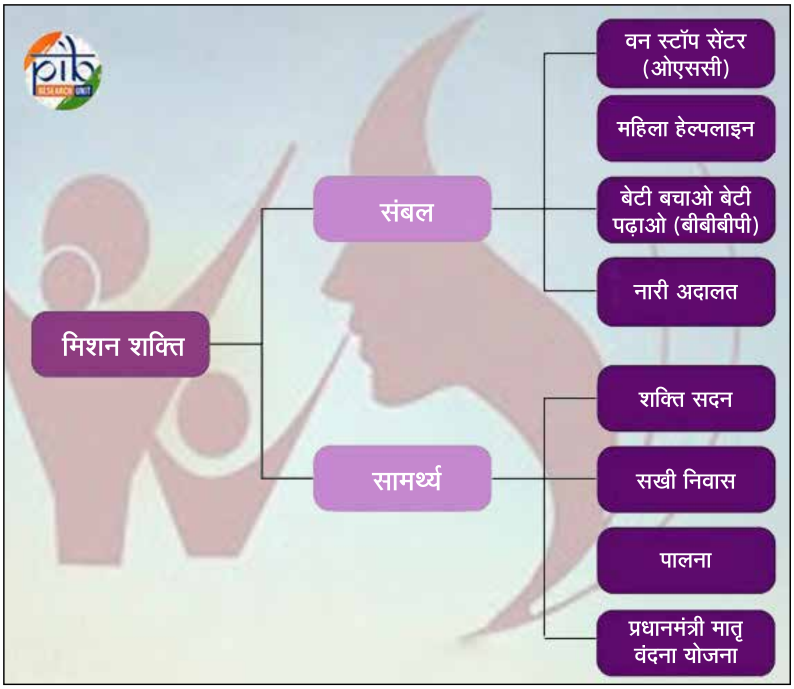

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक मानदंडों, विधायी एवं नियामक ढांचों में बदलाव आवश्यक हो जाता है और निश्चित रूप से महिलाओं के संपत्ति स्वामित्व को महिला सशक्तीकरण का एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक चालक माना जाता है। मौजूदा साक्ष्य दर्शाते हैं कि महिलाओं की संपत्ति उनके सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देती है और उनकी कई अन्य क्षमताओं को भी सक्रिय करती है जो साधनात्मक और मौलिक रूप से उनकी सामाजिक स्थिति को बेहतर करती है। घरेलू संपत्तियों के स्वामित्व के माध्यम से प्राप्त महिलाओं के सशक्तीकरण में वृद्धि उनकी उत्पादक क्षमताओं का विस्तार करती है।

पापुलेशन एंड एनवॉयरमेंट में प्रकाशित शोध 'वुमेन लैंड ओनरशिप एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीज़न मेकिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन मलावी' बताता है कि महिलाओं के भूमि स्वामित्व ने घर के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाया जिसमें वित्तीय और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेना शामिल है। दुनिया भर और भारत में हुए शोध यह भी दर्शाते हैं कि संपत्ति पर अधिकार घरेलू हिंसा की दर को कम करता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में स्वीकृत 74 प्रतिशत मकान का स्वामित्व पूरी तरह से या संयुक्त रूप से महिलाओं के पास है। वित्त वर्ष 2025-26 में 'संबल' योजना के लिए 629 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो कि पिछले वित्त वर्ष की स्वीकृत राशि 422.36 करोड़ रुपये से अधिक हैं जो स्पष्ट रूप से इस योजना के महत्व एवं महिला सशक्तीकरण हेतु इसकी आवश्यकता को परिलक्षित कर रहा है।

मिशन शक्ति की 'संबल' उपयोजना वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इसके अंतर्गत नारी अदालत की भी शुरुआत की गई है जो उत्पीड़न और अधिकारों के उल्लंघन जैसे मुद्दों को हल करने के लिए एक वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता है। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' ने महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा में सुधार पर ज़ोर दिया है नतीजन संस्थागत प्रसव 2014-15 में 87 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 तक 94 प्रतिशत से अधिक हो गया जो कि मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने हेतु अपरिहार्य है।

'समर्थ' योजना शक्ति सदनों, राहत और पुनर्वास घरों, सखी निवास के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बना रही है। यह नगरों में कामकाजी महिलाओं को रहने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करती है। साथ ही, 'पालना-क्रेच' के माध्यम से कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करती है। इस वित्त वर्ष में इस योजना हेतु 2396 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो पिछले वित्त वर्ष में इस योजना हेतु आवंटित राशि से 1442.26 करोड़ रुपये अधिक हैं।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजटीय भाषण में आधी आबादी के आर्थिक सशक्तीकरण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्टतः उल्लेखित किया है। उन्होंने महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए नवीन योजना की घोषणा की है इसके तहत पांच लाख महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए अगले 5 साल के दौरान दो करोड़ रुपये तक सावधि ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया है।

बजट 2025

लोगों में निवेश के एक हिस्से के रूप में सरकार सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रमों को मज़बूत कर रही है, जिससे पोषण संबंधी सहायता सुनिश्चित हो सके:

- **8 करोड़ बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं**
- **आकांक्षी ज़िलों और पूर्वोत्तर में 20 लाख किशोरियां**
- **पोषण सहायता के लिए लागत मानदंडों को उचित रूप से बढ़ाया जाएगा।**

विकास और समृद्धि के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में किसी अर्थव्यवस्था में रोज़गार की मात्रा और गुणवत्ता यह निर्धारित करती है कि आर्थिक विकास किस तरह सभी तक अनवरत रूप से पहुँच पाता है।

वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएसएफ) रिपोर्ट, जो कि संपूर्ण भारत में रोज़गार के रुझान के संबंध में प्रकाश डालती है, बताती है कि रोज़गार की प्रवृत्ति में बदलाव हुए हैं जिसका महिलाओं पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा है। अधिक महिलाएं स्वरोज़गार में संलग्न हैं या घरेलू उद्यमों में योगदान दे रही हैं खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

वित्त वर्ष 2025-26 में 'नमो ड्रोन दीदी योजना' हेतु पूर्व वित्त वर्ष में स्वीकृत रुपये 250 करोड़ में अभूतपूर्व वृद्धि करते हुए 950.85 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। भारत सरकार ने 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में इस योजना को स्वीकृति दी है। इस योजना का लक्ष्य स्वयं सहायता समूह को व्यवसाय और आजीविका प्रदान करना है।

आर्थिक समीक्षा 2024-25 की रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण महिलाओं में स्वरोज़गार वाले श्रमिकों/नियोक्ताओं की हिस्सेदारी 2017-18 में 19 प्रतिशत से बढ़कर 23-24 में 31.02 प्रतिशत हो गई जो स्वतंत्र कार्य और उद्यमिता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाता है। इसी तरह 'घरेलू उद्यमों में सहायकों' की हिस्सेदारी जो अवैतनिक पारिवारिक श्रम का प्रतिनिधित्व करती है, 38.7 प्रतिशत से बढ़कर 42.3 प्रतिशत हो गई है जो परिवार उन्मुख आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि को दर्शाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कृषि रोज़गार 2017-18 में 73.02 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 76.9 प्रतिशत हो गया है। उल्लेखनीय है कि 'कृषि उन्नति योजना' हेतु वित्त वर्ष 2025-26 में 2550 करोड़ रुपये का प्रावधान 'जेंडर बजट' के मद में रखा गया है।

उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आरंभ की गई विभिन्न पहलों में महिलाएं प्रमुख लाभार्थी रही हैं। आर्थिक समीक्षा 2024-25 की रिपोर्ट के मुताबिक 31 अक्टूबर, 2024 तक स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत कम से कम एक महिला निदेशक वाले 73,151 स्टार्टअप को मान्यता दी गई। यह सरकार समर्थित 1,52,139 स्टार्टअप का लगभग आधा हिस्सा है। वैकल्पिक निवेश कोष के माध्यम से 149 महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप में रुपये 3107.11 करोड़ का निवेश किया गया है। अप्रैल, 2021 में अपनी स्थापना के बाद से स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम में 1278 महिला-नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए 227.12 करोड़ रुपये के वित्त पोषण को मंजूरी दी है। स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना ने महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए 24.6 करोड़ रुपये के ऋण की गारंटी दी है। यह कार्यक्रम महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं जिससे उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और उसे बढ़ाने में मदद मिलती है।

वित्त वर्ष 2025-26 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा 'जेंडर बजट' प्रावधान के मद में 'पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए कोष योजना' हेतु 155.66 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो कि वित्त वर्ष 2024-25 में आवंटित राशि से 125.56 करोड़ रुपये अधिक है। नवाचार ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्धन योजना (एसपीआईआरई) हेतु जेंडर बजट के मद में इस वित वर्ष में 8.20 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो कि पिछले वित्त वर्ष की राशि से दो गुना से अधिक है। इस योजना का उद्देश्य भारत में उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देना है।

विश्व बैंक के एक हालिया शोध पत्र में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि महिलाओं के स्वामित्व वाले विकासोन्मुखी उद्यमों को बढ़ावा देने से ग्रामीण भारत में महिला श्रम भागीदारी दर (एफएलएफपीआर) और आर्थिक विकास को काफी बढ़ावा मिल सकता है।

इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि उद्यमिता के स्वामित्व की डोर अभी भी मुख्य रूप से पुरुषों के हाथ में है। सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में केवल 22 प्रतिशत का स्वामित्व महिला उद्यमियों के पास है यद्यपि इस स्थिति को बदलने के लिए भारत सरकार द्वारा हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। 2021 से 2024 के मध्य 32,262 महिलाओं (67 प्रतिशत लाभार्थियों) को उद्यमिता में प्रशिक्षित किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के मद में 123.25 करोड़ रुपये का आवंटन इस वित्त वर्ष में किया गया है जबकि वित्त वर्ष 2024-25 के 'जेंडर बजट' आयोजन में इस योजना हेतु 75 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य मात्स्यिकी क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाना है तदानुसार महिला लाभार्थियों को पीएमएमएसवाई की लाभार्थी उन्मुख गतिविधियों के तहत 60 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

भारत सरकार के लिए लैंगिक समानता स्थापित करना उनकी समस्त नीतियों और योजनाओं का मुख्य आधार है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रुढ़ियों के मध्य निरंतर प्रयासों के चलते इन चुनौतियों को पार करने का प्रयास किया जा रहा है।

निश्चित ही 'जेंडर बजट' भारत की आर्थिक गति को तेज़ी देगा। साथ ही, युवाओं हेतु भी वित्त वर्ष 2025-26 आर्थिक संबलता और समृद्धि के लिए सशक्त कदमों को उठाने की बात करता दिखाई दे रहा है। वित्त मंत्री ने उभरते उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ स्टार्टअप हेतु 'फंड ऑफ फंड्स' योजना के एक और दौर की घोषणा की है। यह घोषणा इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार स्टार्टअप्स के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने पर अपनी संपूर्ण दृष्टि लगाए हुए है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान बजट में युवाओं को दृष्टिगत रखते हुए स्टार्टअप्स के लिए ऋण सीमा को 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया है। साथ ही, 27 फोकस (केंद्रित) क्षेत्रों में ऋण गारंटी को कम कर एक प्रतिशत कर दिया गया है।

पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना के अंतर्गत शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 500 करोड़ के उत्कृष्टता केंद्र और आईआईटी तथा आईआईएससी में तकनीकी अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप की घोषणा भारत के युवाओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए उन्नत कौशल से परिपूर्ण करने का प्रयास है।

युवा और महिलाएं भारत का भविष्य हैं और यह केंद्रीय बजट में उनके सशक्तीकरण हेतु दी गई बजटीय राशि से भी परिलक्षित होता है। परंतु एक सबसे बड़ी चुनौती विभिन्न योजनाओं के समय पर क्रियान्वयन की है। विभागीय स्तर पर योजनाओं को लेकर तत्परता और निष्ठा पर ही योजनाओं की सफलता निर्भर है। ❑

ग्रामीण विकास में 'उत्प्रेरक' की भूमिका में भारतीय डाक

*अरविंद कुमार सिंह

ग्रामीण डाकघरों और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के विस्तृत नेटवर्क तथा पोस्टमैनों और ग्रामीण डाक सेवकों के तंत्र की मदद से भारतीय डाक सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण सेवाओं से लेकर बीमा सेवाएं और सहायता-प्राप्त डिजिटल सेवाएं सुलभ कराएगा। विस्तारित सेवाओं के साथ भारतीय डाक आगे बढ़ेगा तो उसका असर साफ दिखेगा। खासतौर पर ऋण सेवा में यह अन्य संस्थाओं की तुलना में अधिक कारगर होगा क्योंकि इसके पास पोस्टमैन जैसी संस्था है जिसकी देहाती अंचलों के जनमानस पर गहरी पकड़ है। ऋण वसूली में भी इस कारण अधिक समस्या नहीं आएगी। फिलहाल सरकार ने जो फैसला लिया है,वह भारतीय डाक के भविष्य को और बेहतर बनाएगा।

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2025 को संसद में 2025-26 का आम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारतीय डाक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक 'उत्प्रेरक' के रूप में कार्य करेगा। सरकार डाक सेवाओं का विस्तार डीबीटी, सूक्ष्म उद्यमों को ऋण सेवा, बीमा और अन्य सेवाओं के लिए करेगी। ग्रामीण कारीगरों (विश्वकर्मा), महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों तथा एमएसएमई की ज़रूरतों के हिसाब से भारतीय डाक को विशाल सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन के रूप में बदलने की दिशा में सरकार आगे बढ़ने जा रही है।

ग्रामीण डाकघरों और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के विस्तृत नेटवर्क तथा पोस्टमैनों और ग्रामीण डाक सेवकों के तंत्र की मदद से भारतीय डाक सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण सेवाओं से लेकर बीमा सेवाएं और सहायता-प्राप्त डिजिटल सेवाएं सुलभ कराएगा। उल्लेखनीय है कि देश के सूक्ष्म और लघु उद्यमों का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण अंचलों में है। इसमें भी खासतौर पर वे सबसे अहम हैं जिनको कच्चा माल कृषि क्षेत्र से मिलता है।

*वरिष्ठ लेखक और पत्रकार। राज्यसभा टीवी में संसदीय मामलों के संपादक रह चुके हैं और कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित।
ईमेल-arvindksingh.rstv@gmail.com

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में जो बातें कही हैं, उस दिशा में विभाग पहले से ही प्रयासरत रहा है। वित्तीय सेवाओं में ग्रामीण अंचलों में इसकी मज़बूत पकड़ और विश्वसनीयता है। विस्तारित सेवाओं के साथ भारतीय डाक आगे बढ़ेगा तो उसका असर साफ दिखेगा। खासतौर पर ऋण सेवा में यह अन्य संस्थाओं की तुलना में अधिक कारगर होगा क्योंकि इसके पास पोस्टमैन जैसी संस्था है जिसकी देहाती अंचलों के जनमानस पर गहरी पकड़ है। ऋण वसूली में भी इस कारण अधिक समस्या नहीं आएगी। फिलहाल सरकार ने जो फैसला लिया है,वह भारतीय डाक के भविष्य को और बेहतर बनाएगा। नई सेवाओं के माध्यम से भारतीय डाक की आर्थिक सेहत और बेहतर होगी।

भारतीय डाक 1,64,987 डाकघरों की संख्या के साथ विश्व में नंबर एक पर है। इनमें से 1,49,478 डाकघर ग्रामीण अंचलों में हैं। 1947 में आज़ादी मिलने के साथ देश में केवल 23,334 डाकघर थे। पर समय के साथ हमारा डाक तंत्र सात गुना बढ़ चुका है। आज प्रत्येक डाकघर औसतन 8 हज़ार व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान कर रहा है। दुनिया भर में इस समय करीब 6.40 लाख डाकघर हैं। लेकिन संचार और सूचना क्रांति के असर के चलते कई देशों में डाकघर अपनी उपयोगिता खो रहे हैं और बंद होने के कारण उनकी संख्या कम होती जा रही हैं लेकिन भारत में अपनी उपयोगिता के कारण नए डाकघर खुल रहे हैं। पिछले पांच सालों में देश में 5,639 नए डाकघर खोले गए हैं। तमाम चुनौतियों के बावजूद सरकार ने इनको आधुनिक साजो-सामानों से लैस किया है। 16 दिसंबर, 2024 से नए डाक नियम लागू हुए हैं। सरकार ने डाकघर अधिनियम, 2023 को 18 जून, 2024 से लागू किया था। इसके पहले भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 के तहत डाकघरों का संचालन होता था। नए नियमों से सेवाओं को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

आम बजट में 1 फरवरी, 2024 को लोकसभा में 41,084.93 करोड़ रुपये की डाक विभाग की अनुदान मांगों को संसद की मजूरी के लिए रखा गया। इसका बजट पहले की तुलना में काफी बढ़ा है। पर इसके राजस्व व्यय का 89.3% वेतन, भत्ते और पेंशन पर व्यय होने के कारण कई तरह की चुनौतियां रहती हैं पर श्रम साध्य विभाग होने के कारण यह व्यय ज़रूरी है। हालांकि पांच प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं पर ज़ोर देकर सरकार इसे लगातार शक्ति संपन्न बनाने की दिशा में काम कर रही है। इन योजनाओं में आईटी समावेशन, आधुनिकीकरण, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, मानव संसाधन और संपदा प्रबंधन प्रमुख हैं।

बहु उद्देशीय भूमिका में डाकघर

संचार क्रांति के बीच पैदा हुई नई पीढ़ी ऐसे स्मार्ट फोनों से लैस है, जो पढ़ाई-लिखाई से लेकर बिल भुगतान, ऑनलाइन शापिंग और उनकी कई ज़रूरतें पूरी कर रही हैं। 120 करोड़ से अधिक मोबाइल फोनों वाले भारत में 95 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपभोक्ता हैं। शहरी इलाकों में संचार और सूचना क्रांति की आंधी में डाकघरों की उपयोगिता पर सवाल उठते हैं तो यह स्वाभाविक ही है। एक दौर था जब डाकघरों का मतलब चिट्ठियां होती थीं। भारतीय डाक की विभिन्न सेवाओं में सबसे ताकतवर रहे पत्रों को संचार क्रांति ने गहरा झटका दिया क्योंकि निजी पत्रों का चलन बहुत कम हो गया। पर बहु उपयोगी भूमिका के कारण डाकघरों का अस्तित्व कायम है। इनमें भी ग्रामीण अंचलों में डाकघरों ने खुद को बचाए रखा। देहाती डाकघर भले शहरों की तरह बहुत सुंदर न हों पर ग्रामीणों और किसानों के लिए वे बहुत काम आ रहे हैं।

दरअसल भारतीय डाक की मौजूदा स्थिति को समझने के लिए इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और तथ्यों को जानना ज़रूरी है। आधुनिक रूप में 1 अक्टूबर, 1854 को भारतीय डाक स्थापित हुआ। यह संस्था हमेशा लोगों के सुख-दुख में खड़ी रही, जिसके कारण जनमानस में इसके साथ एक भावनात्मक जुड़ाव भी रहा है। डाक, बैंकिंग, जीवन बीमा और मनीआर्डर तथा रिटेल सेवाओं के माध्यम से इसका आम लोगों के साथ गहरा जुड़ाव बना रहा है। पहले चिट्ठियां, मनीआर्डर, शुभकामना संदेश, तार, रेडियो लाइसेंस से लेकर तमाम भूमिकाएं थीं, पर अब वित्तीय सेवाओं से लेकर ई-कामर्स में इसकी भूमिका है। ऐसी कई सेवाएं जारी हैं, जिनके कारण पहले की तरह ही चौबीस घंटे डाकघरों में काम चलता रहता है।

समय के साथ कदमताल

परंपरागत सेवाओं में लंबे समय तक उलझे रहे डाकघरों ने समय के साथ खुद को बदल कर अपना अस्तित्व ही नहीं बचाए रखा है, बल्कि खुद को सबल किया है। 'डिजिटल इंडिया' से लेकर आर्थिक और वित्तीय समावेशन के लिए संचार और

सूचना क्रांति की ताकत से डाकघरों ने खुद को लैस किया है। इसी कारण कुरियर की चुनौतियों के बावजूद अपनी स्पीड पोस्ट सेवा की बाज़ार हिस्सेदारी 40% तक बनाए रखी है।

कई नागरिकोन्मुखी सेवाएं भी भारतीय डाक ने आरंभ की हैं। पासपोर्ट, रेलवे टिकट, आधार नामांकन और अपग्रेडेशन, कॉमन सर्विस सेंटर, आधार आधारित भुगतान सेवा डाकघर मुहैया करा रहे हैं। इस समय 1.43 लाख डाकघरों में कॉमन सर्विस सेंटर हैं। इसकी मदद से डिजिटल सेवा पोर्टल, मतदाता पंजीकरण और विवरणों में संशोधन, श्रम सेवा, पेंशन, रोज़गार सेवा के साथ कई उपयोगी सेवाएं दी जा रही है। वे बिलों का भुगतान ले रहे हैं, टूर और ट्रैवल्स सेवा में मदद कर रहे हैं तथा फास्टैग जारी कर रहे हैं। शैक्षिक, बैंकिंग, बीमा और आयकर रिटर्न में मददगार हैं। 3352 डाकघरों में आधार केंद्र और 434 प्रमुख डाकघरों में पासपोर्ट सेवा केंद्र भी खोले गए हैं। इसकी पार्सल हैंडलिंग क्षमता 24 करोड़ सालाना से अधिक हो गई है। छोटे व्यापारियों, कारीगरों आदि की सुविधा के लिए ई-कामर्स एक्सपोर्ट बुकिंग की सुविधा के लिए 879 डाकघर निर्यात केंद्र भी स्थापित किए गए हैं और कई नए उपाय भी किए गए हैं।

वित्तीय सेवाओं में अभी भी अग्रणी हैं ग्रामीण डाकघर

विश्व में कई देशों में डाकघर वित्तीय सेवाएं दे रहे हैं। पर भारत में डाकघर बचत बैंक 1882 से चल रहे देश के सबसे पुराने बैंकों में शामिल हैं। एक दौर में तो जमाराशि में इसकी तुलना रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से होती थी। डाकघरों में बचत

आंदोलन को भी डाक सेवाओं ने गति दी। हालांकि डाकघर बचत बैंक स्वतंत्र बैंक नहीं हैं। ये वित्त मंत्रालय की एजेंसी के रूप में काम करते हैं, जिस पर डाक विभाग को कमीशन मिलता है। पर आज भारतीय डाक को बैंकों जैसी विशेषज्ञता हासिल हो चुकी है।

आज पहले जैसी बात नहीं है क्योंकि देश में बैंकों का जाल बिछने का असर डाकघरों पर भी पड़ा है। पर देश में डाकघरों में बचत बैंक से लेकर विभिन्न श्रेणी में 26 करोड़ से अधिक खाते हैं, जिनमें 12.68 लाख करोड़ रुपये जमा हैं। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' नारे के साथ शुरू सुकन्या खातों का 84% डाकघरों में खुला है क्योंकि इसके लिए पोस्टमैनों ने अभियान चलाया था। डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा से प्राप्त कुल प्रीमियम आय 2018-19 में 10,398 करोड़ रुपये थी, जो 2022-23 में बढ़ कर 14,246 करोड़ रुपये हो गई है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना मार्च 2023 में आरंभ की गई, जिसके 43.30 लाख खाते अब तक खोले गए हैं।

डाकघरों की बचत योजनाओं में आवर्ती जमा खाता (RD), सावधि जमा (TD), मासिक आय योजना (MIS), लोक भविष्य निधि (PPF), राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC), किसान विकास पत्र (KVP), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) और सुकन्या योजना के साथ महिला बचत योजना काफी लोकप्रिय हैं। इनकी लोकप्रियता की एक बड़ी वजह इनका जोखिम रहित होना है। देश में 5 लाख से अधिक लघु बचत एजेंटों को भी इन योजनाओं से काम मिलता है।

आधुनिकीकरण के कारण डाक विभाग के सभी प्रचालनों जैसे बैंकिंग, बीमा, मेल, मानव संसाधन, वित्त और लेखा के लिए केंद्रीय सर्वर आधारित एकीकृत समाधान के साथ एटीएम और कोर बैंकिंग सेवाएं सुलभ हैं जिससे इसके ग्राहक डाकघर से अपने बैंक खाते से लेनदेन कर सकते हैं। 2018 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक स्थापित किया गया जिसमें पोस्टमैनों को स्मार्ट फोन और बायोमैट्रिक डिवाइस से लैस कर नई ताकत दी गई है।

यह शक्ति कोरोना संकट में सबको नज़र आई जब डाक विभाग ने तीन करोड़ 60 लाख खातों से 56,500 करोड़ रुपये का लेनदेन किया। इसी के साथ 45.5 लाख आधार आधारित भुगतान लेनदेन से 851 करोड़ रुपये का भुगतान घरों पर जाकर किया गया। इसी तरह डीबीटी भुगतान का 874 करोड़ रुपये और 54.5 लाख मनीआर्डरों से 560 करोड़ रुपये का वितरण भी डाक विभाग ने पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवकों की मदद से घरों पर जाकर किया।

ग्रामीण भारत की मज़बूत संस्था

डाक क्षेत्र में दिलचस्पी के कारण देश-विदेश में शहरी और ग्रामीण डाकघरों का दौरा मैं ज़रूर करता रहता हूं और उनकी सेवाओं के असर को भी समझने का प्रयास करता हूं। पिछले

ग्रामीण पोस्टमैन को मिले आधुनिक साजो सामान

3 दशकों में मैंने हजारों डाकघरों का दौरा किया है। बहुत से प्रयोगधर्मी डाक कर्मचारियों से मिला भी हूं। एक दौर ऐसा था जब लगने लगा था कि संचार क्रांति की आंधी डाकघरों को ही समाप्त कर देगी। पर अपनी विश्वसनीयता और बहु-उद्देशीय भूमिका के कारण डाकघरों ने खुद को बचाए रखा। इनको बचाए रखने में एक बड़ा कारण गाँव रहे हैं।

देश के कुल डाकघरों में 1,49,478 डाकघर ग्रामीण अंचलों में स्थित हैं। इनमें भी ग्रामीण शाखा डाकघरों की संख्या 136,762 है। ग्रामीण डाकघरों के अपने आधार के भरोसे ही भारतीय डाक यह नारा देता है कि 'ऐसी कोई जगह नहीं,जहां हमारी पहुँच नहीं। हमें चाहिए सिर्फ एक पता।'

कुछ समय पहले मैंने हरियाणा के रोहतक ज़िले के गढ़ी सांपला गाँव के डाकघर का दौरा किया। करीब 3144 आबादी वाले इस गाँव में एक हज़ार से अधिक खाते डाकखाने में खुले हैं। इस डाकघर की पोस्टमास्टर सुनीता देवी डॉक्टरेट हैं और साक्षरता के प्रसार के साथ वित्तीय साक्षरता के विस्तार में भूमिका निभा रही हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के विस्तार के साथ सुकन्या खाता करीब हर बालिका का खुल गया है। गाँव वाले डाकघर पर पूरा भरोसा करते हैं और जब चाहें, उनको ज़रूरी सेवा मिल जाती हैं।

पाठकों को मैं अपने निजी अनुभवों में हिमाचल प्रदेश में पालमपुर के कमलहेड डाकघर का भी उदाहरण देना चाहूंगा जिसके दायरे में 9 गाँवों की पांच हजार आबादी आती है। इसके करीब ही हिमाचल के बैजनाथ उप डाकघर में 50 हज़ार खाते हैं। असम के कामरूप ज़िले का धारापुर गाँव का डाकघर ब्रह्मपुत्र के करीब स्थित है जिसमें एक हज़ार खाते हैं। राजस्थान में टोंक ज़िले में देवली तहसील के पनवाड़ डाकघर में दस हज़ार से अधिक खाते हैं और करीब हर परिवार डाकघर से जुड़ा है। पहले बहुत मनीआर्डर आते थे, पर अब पार्सलों की भरमार है।

भारत के कई हिस्सों में करीब ऐसी ही तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। किसी न किसी कारण डाकघरों में ग्रामीणों का काम पड़ता रहता है। शहरों में बैठे बहुत से लोगों को भारतीय डाक को समझने के लिए गाँवों में उसकी शक्ति ज़रूर देखनी चाहिए। भारतीय डाक की असली शक्ति 90 फीसदी ग्रामीण डाकघर और उनमें काम कर रहे करीब ढाई लाख ग्रामीण डाकसेवक हैं जो संचार और सूचना क्रांति की आंधी में भी डटे हुए हैं।

आज़ादी के पहले दुर्गम और जटिल इलाके डाक सेवा से वंचित थे, पर आज हर दो गाँव पंचायत के बीच में एक डाकघर है। अतीत में डाकघरों ने अपनी सीमित पहुँच में भी मलेरिया रोधी उपायों, साक्षरता के विस्तार, चुनाव प्रणाली, लघु बचत या सैनिकों की पेंशन जैसे कई कामों में योगदान दिया।

ग्रामीण डाक सेवक का महत्व बरकरार

पोस्टमैनों की दो श्रेणियां हैं, पहली विभागीय पोस्टमैन हैं, जबकि दूसरी ग्रामीण डाक सेवक या जीडीएस जिनकी संख्या ढाई लाख के करीब हैं। दायित्व दोनों का एक जैसा ही है और ये दोनों सरकार और जनता के बीच सबसे मज़बूत कड़ी हैं। वे अपने क्षेत्र के भूगोल ही नहीं, बल्कि समाज के ताने-बाने की बहुत गहरी समझ रखते हैं। आम लोग उनको अपना हितैषी और शुभचिंतक मानते हैं। इनके सम्मान में बहुत-सी रचनाएं लिखी जा चुकी हें, तमाम फिल्मी गीत बने हैं। देहात में आज भी शादी और अन्य समारोह का कार्ड डाकखाने में डालने के पहले पोस्टमैन को देने का रिवाज़ है।

भारत जैसे देश में जहां 36 भाषाओं में अलग-अलग तरीके से पते लिखे जाते हों, वहां डाकियों के लिए कितना चुनौती भरा काम होगा, इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा

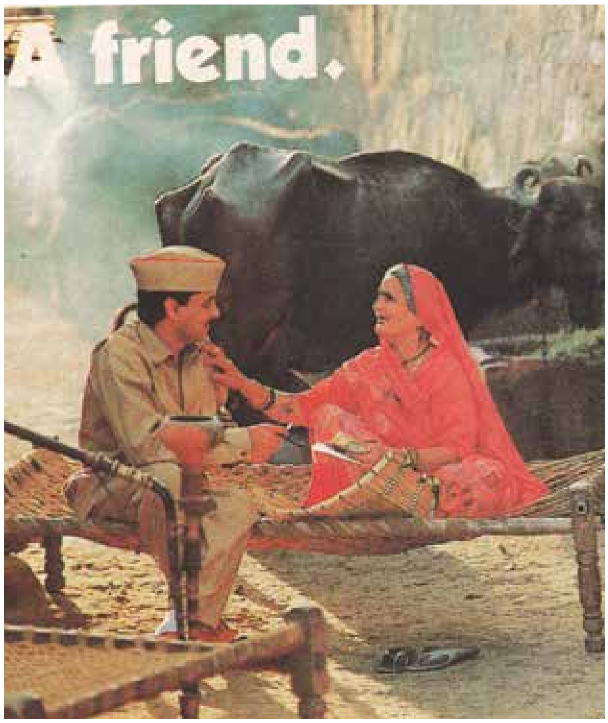

भारतीय डाक का अस्सी के दशक का एक विज्ञापन

ग्रामीण अंचलों में खुले कुछ दिलचस्प डाकघर

ग्रामीण अंचलों को डाक सेवा मुहैया कराने के लिए नावों में फेरी बोट पोस्ट आफिस, मोबाइल पोस्ट आफिस, टट्टू डाकघर, पहाड़ी गाँवो के लिए खच्चरों पर डाकघर और ऊंटों पर डाकघर खोलने के साथ कई प्रयोग हुए। देश के पहले संचार मंत्री रफी अहमद किदवई के कार्यकाल में जटिल भूगोल के बीच जो भी साधन सुलभ हुए, डाक सेवाओं के लिए उसका उपयोग किया गया। उसी दौरान, कश्मीर में डल झील पर एक तैरता डाकघर 1953 में खोला गया था जिसने दुनिया भर के सैलानियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसके बाद हरियाणा में साइकिल डाकघर खुले। राजस्थान के दुर्गम रेगिस्तानी इलाकों की ढ़ाडियां, तो सेवा देने के लिए बीकानेर ज़िले के दुर्गम गाँवों में ऊंट डाकघर खुले। ऊंटों पर डाकघर का सारा तामझाम जुटाने के साथ, ऊपर लेटरबॉक्स भी लगाया था। अमरनाथ यात्रा के दौरान डाकसेवा प्रदान करने के लिए 1964 में टट्टू डाकघर खुला, जबकि 1976-77 में ब्रह्मपुत्र के सरहदी गाँवों की सेवा के लिए फेरी बोट पोस्ट ऑफिस खोला गया। फिर दार्जिलिंग में दुर्गम पहाड़ी गाँवों को सेवित करने के लिए खच्चरों पर डाकघर खुला और 1979-79 में केरल में नौकाओं पर डाकघर आरंभ हुआ था। ऐसे प्रयोगों ने लोगों को भारतीय डाक के और करीब लाने का काम किया।

डल झील, श्रीनगर में स्थित विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस

सकता है। आज भी रेगिस्तान की तपन से लेकर बर्फबारी या बाढ़ के दौरान देहाती इलाकों में उनका काम जारी रहता है। वे ही भारतीय डाक की रीढ़ हैं। उनकी माली हालत जून 2018 में वेतन भत्तों में संशोधन के बाद पहले से बेहतर हुई है, पर चुनौतियां कायम हैं।

इनकी ही ताकत पर भारत सरकार में 1 सितंबर, 2018 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) आरंभ किया था जिसने समय के साथ खुद को मज़बूती दी है। इससे किसानों, मजदूरों, गृहिणियों, वरिष्ठ नागरिकों और छोटे कारोबारियों को बहुत सुविधा मिली है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की स्थापना के बाद ग्रामीण डाकघर 'बैंकिंग' सेवाओं में और मज़बूत हुए हैं।

ग्रामीण डाक जीवन बीमा और डाक बीमा भी काफी लोकप्रिय होती जा रही हैं। 1884 मे डाक जीवन बीमा की स्थापना हुई थी। गाँवों में बचत की आदत को विकसित करने में भारतीय डाक की भूमिका में राष्ट्रीय बचत संस्थान, नागपुर ने भी काफी सहयोग किया जो राष्ट्रीय बचत संगठन के नाम पर 1948 में स्थापित हुआ। यह वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग के अधीन आता है। छोटी बचतों के प्रोत्साहन में इसका योगदान है। इन सबके तार आपस में जुड़े हैं और इसके कारण खासतौर पर ग्रामीण अंचलों में वित्तीय समावेशन में मदद मिल रही है।

आज भी देहातों में बड़ी संख्या में लेटरबॉक्सों की मौजूदगी भारतीय डाक के करीब होने का आभास दिलाती रहती है। आज़ादी मिलने के दौरान देश में कुल 57,321 लेटरबॉक्स थे। 1970 तक यह संख्या 2,36,795 हो गई। वर्ष 1976-77 के बाद देहात में और लेटरबॉक्स लगाने के लिए सरकार ने एक विशेष अभियान भी चलाया था। इस समय देश में करीब 5,79,595 लेटर बॉक्स डाक इकट्ठा करते हैं। इनमें से 4,05,754 गाँवों में लेटरबॉक्स के साथ डाक विभाग की मौजूदगी है।

नई भूमिका के लिए तैयार

भारतीय डाक को वित्त मंत्री जो भूमिकाएं सौंपना चाहती हैं, उसके लिए भारतीय डाक का आधार तैयार है चूंकि हाल के सालों में डाकघरों में व्यापक आधुनिकीकरण का काम हुआ है। 'प्रॉजेक्ट ऐरो' ने ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं में डाकघरों की शक्ल बदली है। 'लुक एंड फील' में बदलाव आया है। कंप्यूटरीकरण और आधुनिक साज़ो-सामान जुटाने का असर भी साफ दिखता है। ऐसे में सेवाओं के विस्तार से इसकी शक्ति और बढ़ेगी, यही आकलन किया जा रहा है।

भारतीय डाक के 150 वें समारोह के समापन के मौके पर 2004-05 में तत्कालीन राष्ट्रपति ए.पी.जे.अब्दुल कलाम ने कहा था कि 'भारतीय डाक' में लोगों का विश्वास, इसका नेटवर्क और मानव संसाधन की शक्ति ये तीन स्तंभ हैं। डाक विभाग दिलों को जोड़ने का काम करता है। प्रकृति से यह विस्तार पा रहा असाधारण संगठन है, यह सामर्थ्य और बढ़ाया जाना चाहिए। नाबार्ड जैसी संस्थाओं के साथ सहयोग करके डाकघर किफायती ब्याज दरों पर ग्रामीण ऋण के वितरण का प्रमुख स्रोत बन सकते हैं।

श्री कलाम आज इस दुनिया में नहीं हैं, पर उन्होंने जो सोचा था, उसी दिशा में भारतीय डाक आगे कदम बढ़ाने की ओर अग्रसर है। उचित संसाधन और श्रम प्रबंधन के साथ भारतीय डाक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक 'उत्प्रेरक' के रूप में कार्य करते हुए एक नई भूमिका लिख सकता है। ❑

बजट से संबंधित प्रश्नोत्तरी

1. स्वतंत्र भारत का पहला बजट किस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया था?
(क) मनमोहन सिंह
(ख) यशवंत सिन्हा
(ग) जॉन मथाई
(घ) आर.के. शनमुखम चेट्टी

2. भारतीय रेलवे बजट को आम बजट में विलय करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया?
(क) 2015
(ख) 2016
(ग) 2017
(घ) 2018

3. बजट का कौन-सा घटक सरकार की कुल आमदनी को दर्शाता है?
(क) पूंजीगत प्राप्तियां
(ख) राजस्व प्राप्तियां
(ग) व्यय बजट
(घ) प्राथमिक घाटा

4. कौन-सा कर प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है?
(क) वस्तु एवं सेवा कर (GST)
(ख) आयकर (Income Tax)
(ग) सीमा शुल्क (Custom Duty)
(घ) उत्पादन शुल्क (Excise Duty)

5. भारत में किस वर्ष से 'केंद्रीय बजट' फरवरी के अंतिम कार्य दिवस के बजाय 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाने लगा?
(क) 2015
(ख) 2016
(ग) 2017
(घ) 2018

6. 2025-26 के बजट में 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से किस पर ध्यान दिया जाएगा?
(क) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)
(ख) आयात पर बढ़ी हुई निर्भरता
(ग) बैंकिंग सुधार
(घ) डिजिटल मुद्रा का विस्तार

7. बजट में किसे 'वोट ऑन अकाउंट' कहा जाता है?
(क) जब सरकार अगले साल के लिए पूरा बजट पेश करे
(ख) जब चुनाव के कारण केवल कुछ महीनों के लिए खर्च की अनुमति दी जाए
(ग) जब सरकार का वित्तीय घाटा बढ़ जाए
(घ) जब सरकार नया टैक्स लागू करे

8. 'डिसइन्वेस्टमेंट' (Disinvestment) का क्या अर्थ है?
(क) सरकार द्वारा निजी कंपनियों को पैसा देना
(ख) सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में हिस्सेदारी बेचना
(ग) विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करना
(घ) बजट घाटे को बढ़ाना

9. भारत का पहला डिजिटल बजट किस वर्ष पेश किया गया था?
(क) 2018-19
(ख) 2019-20
(ग) 2020-21
(घ) 2021-22

10. बजट 2025-26 में किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से संबंधित कौन-सा बड़ा निर्णय लिया गया?
(क) सभी फसलों के लिए MSP में 15% वृद्धि
(ख) न्यूनतम MSP गारंटी कानून लागू किया गया
(ग) किसानों के लिए नई फसल बीमा योजना की घोषणा
(घ) जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए विशेष MSP दर

11. केंद्रीय बजट 2025 में 'मेक इन इंडिया' और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कौन-सी नई योजना शुरू की गई है?
(क) आत्मनिर्भर भारत योजना 2.0
(ख) नवीनीकृत उत्पादन प्रोत्साहन योजना
(ग) भारतीय विनिर्माण मिशन
(घ) मेगा इंडस्ट्रियल हब योजना

12. भारतीय बजट प्रक्रिया में 'गिलोटिन' का क्या अर्थ है?
(क) सरकार का घाटा पूरा करने के लिए कर बढ़ाना
(ख) बजट में बिना चर्चा के शेष मांगों को पारित करना
(ग) वित्तीय संकट के दौरान रिजर्व बैंक की मदद
(घ) बजट के अंत में संसद द्वारा इसे अस्वीकार करना

1. (घ) आर.के. शनमुखम चेट्टी 2. (ख) 2016 3. (ख) राजस्व प्राप्तियां 4. (ख) आयकर (**Income Tax**) 5. (ग) 2017 6. (क) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (**FDI**) 7. (ख) जब चुनाव के कारण केवल कुछ महीनों के लिए खर्च की अनुमति दी जाए 8. (ख) सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में हिस्सेदारी बेचना 9. (घ) 2021-22 10. (ख) न्यूनतम **MSP** गारंटी कानून लागू किया गया 11. (ग) भारतीय विनिर्माण मिशन 12. (ख) बजट में बिना चर्चा के शेष मांगों को पारित करना

हमारी पत्रिकाएँ

योजना
विकास को समर्पित मासिक
(हिंदी, अँग्रेज़ी, उर्दू व 10 अन्य भारतीय भाषाओं में)

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

कुरुक्षेत्र
ग्रामीण विकास पर मासिक
(हिंदी और अँग्रेज़ी)

आजकल
साहित्य एवं संस्कृति का मासिक
(हिंदी तथा उर्दू)

बाल भारती
बच्चों की मासिक पत्रिका
(हिंदी)

घर पर हमारी पत्रिकाएँ मंगाना है काफी आसान...

आपको सिर्फ नीचे दिए गए 'भारत कोश' के लिंक पर जा कर पत्रिका के लिए ऑनलाइन डिजिटल भुगतान करना है–
https://bharatkosh.gov.in/Product/Product

सदस्यता दरें

प्लान	योजना या कुरुक्षेत्र या आजकल		बाल भारती	
वर्ष	साधारण डाक	ट्रैकिंग सुविधा के साथ	साधारण डाक	ट्रैकिंग सुविधा के साथ
1	₹ 230	₹ 434	₹ 160	₹ 364

ऑनलाइन के अलावा आप डाक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर से भी प्लान के अनुसार निर्धारित राशि भेज सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल ऑडर या मनीआर्डर '**अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय**' के पक्ष में **नई दिल्ली** में देय होना चाहिए।

अपने डीडी, पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर के साथ नीचे दिया गया 'सदस्यता कूपन' या उसकी फोटो कॉपी में सभी विवरण भरकर हमें भेजें। भेजने का पता है-
संपादक, पत्रिका एकांश, प्रकाशन विभाग, कक्ष सं. 779, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

अधिक जानकारी के लिए ईमेल करें- pdjucir@gmail.com

हमसे संपर्क करें- **फोन : 011-24367453** (सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रात: साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक)

कृपया नोट करें कि सदस्यता शुल्क प्राप्त होने के बाद सदस्यता शुरू होने में कम से कम आठ सप्ताह लगते हैं। कृपया इतने समय प्रतीक्षा करें और पत्रिका न मिलने की शिकायत इस अवधि के बाद करें।

सदस्यता कूपन (नई सदस्यता/नवीकरण/पते में परिवर्तन)

कृपया मुझे 1 वर्ष के प्लान के तहत .... पत्रिका .... भाषा में भेजें।

नाम (साफ व बड़े अक्षरों में) ....

पता : ....

.... ज़िला .... पिन ....

ईमेल .... मोबाइल नं. ....

डीडी/पीओ/एमओ सं. .... दिनांक .... सदस्यता सं. ....

कुल पृष्ठ : 52
आई.एस.एस.एन. 0971-8451
प्रकाशन की तिथि : 1 मार्च 2025
डाक द्वारा जारी होने की तिथि : 5-6 मार्च, 2025

R.N.I/708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2024-26
Licenced under U (DN)-54/2024-26
to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.
DL(DS)-49/MP/2025-26-27 (Magazine Post)

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

भारत 2025

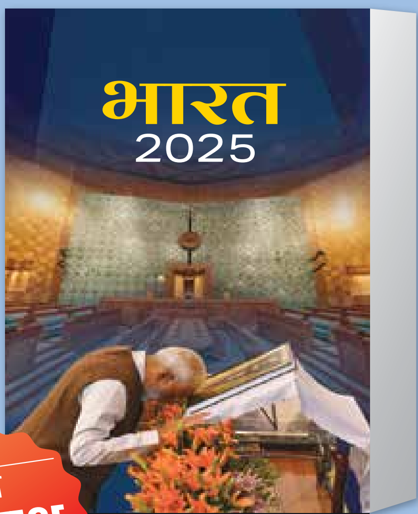

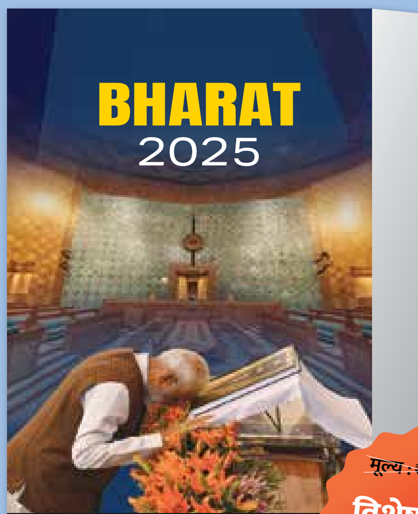

अब उपलब्ध

~~मूल्य : ₹340.00~~
विशेष मूल्य ₹306.00

भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों तथा नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों का विश्वसनीय संकलन

ऑर्डर देने के लिए संपर्क करें :
फोन : 011 24365609
ईमेल : businesswng@gmail.com

ऑनलाइन खरीद के लिए www.bharatkosh.gov.in पर जाएं

वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in

अन्य उपयोगी पुस्तकों/पत्रिकाओं के लिए कृपया पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली में पधारें

@publicationsdivision | @DPD_India | @dpd_india

प्रकाशक और मुद्रक : राजीव कुमार जैन, अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
मुद्रक : जे.के. ऑफसेट ग्राफिक्स, बी-278, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020 वरिष्ठ संपादक : ललिता खुराना